

24274

①

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta .

.....Applicant

Versus

Union of India & Ors.

... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF
DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, PAURI
GARHWAL, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT
MAGISTRATE, PAURI GARHWAL, UTTARAKHAND IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS
HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

I N D E X

<u>Srl</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Pauri Garhwal, Uttarakhand through District Magistrate, Pauri Garhwal, Uttarakhand in compliance of orders dated 05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the abovementioned matter	2-18
2.	<u>ANNEXURE-A</u> A true copy of the order dt.05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.	19-28
3.	<u>ANNEXURE-B</u> A copy of the Compliance Report alongwith its Annexures.	29- 149

Filed by:


K.K.P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
KAUSHAL GAUTAM
Reg. No. D/119198

Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /

Respondent

C-203, LGF,

Defence Colony, N. Delhi-110024

Mobile No. 9811101934

Email- officeofkaushalgautam@gmail.com



जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

DOCUMENTS ENCLOSED WITH ANNEXURE-B

S.NO	DOCUMENT PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ANNEXURE-1 Gazette notification dated 09.08.2017 vide which District Ganga Protection Committee in District Rudraprayag was constituted.	30-31
2.	ANNEXURE-2 Constitution of District Ganga Protection Committee as per para 53 (2) of the 2016 order with district magistrate as chairperson, ex-officio members and nominated members vide letter number 5473/33-3 (2016-17) dated 07.09.2017	32-34
3.	ANNEXURE-3 Minutes of meetings held under district Ganga committees	35-57
4.	ANNEXURE-4 Notice regarding appointment of nodal officers as per para 56 of the order.	58-63
5.	ANNEXURE-5 Tributary wise plan/presentation prepared by DGC to keep the tributaries of river Ganga clean.	64-124
6.	ANNEXURE-6 Report regarding segregation, processing and selling of solid waste.	125-131
7.	ANNEXURE-7 Compliance report as to influx of tourists at Devprayag.	132
8.	ANNEXURE-8 Report by SDM as to land subsidence problem.	133-134
9.	ANNEXURE-9 A compliance report dated 30.09.2023 submitted by Alaknanda Hydro Power Company Limited regarding Shrinagar Hydro Electric Project, reporting that the same is maintaining E flow as per norms.	135-137
10.	ANNEXURE-10 Copy of record of fine collected from a total of 16 districts for illegal mining and transportation in the district from December 2021 to December 2023.	138
11.	ANNEXURE-11 Declaration by District Agriculture officer regarding non usage/limited usage of pesticides in District Pauri.	139-140

12.	ANNEXURE-12 Compliance report as to sewage/FC status of STP operating in Kirtinagar and Devprayag.	141
13.	ANNEXURE-13 Details of the tapping and flow of drains in District Pauri.	142-144
14.	ANNEXURE-14 Detailed report on IEC activities organized by DGC.	145-146
15.	ANNEXURE-15 Details of industries operating in Pauri District	147-149

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta .

.....Applicant

Versus

Union of India & Ors.


... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF
DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, PAURI
GARHWAL, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT
MAGISTRATE, PAURI GARHWAL, UTTARAKHAND IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS
HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER


I, Ashish Chauhan S/o Shri Mangilal aged about 43 years, presently posted as District Magistrate, Pauri Garhwal, District Pauri Garhwal, Uttarakhand , do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Pauri Garhwal, Uttarakhand through District Magistrate, Pauri Garhwal, Uttarakhand.
2. That the abovementioned matter was listed on 05.09.2023 before this Hon'ble Tribunal and after hearing, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass a detailed order, the relevant portion of the same is quoted below:-

“




जिलाधिकारी
मन्गल(पौड़ी)



“.....
2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

X X X X X X X X X



जिलाधिकारी
महाल(पौड़ी)



4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-


Ganga

- i. Chamoli
- ii. Dehradun
- iii. Haridwar
- iv. Pauri Garhwal
- v. Rudraprayag
- vi. Tehri
- vii. Uttarkashi

Tributaries

- viii. Nainital
- ix. Almora
- x. Pithoragarh
- xi. Champawat
- xii. Bageshwar
- xiii. Udham Singh Nagar




जिलाधिकारी
गन्गाल(पौड़ी)

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016. 6 6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:- I. Upper Himalayas (from source till Devprayag) II. Middle range (Devprayag till Rishikesh) III. Plains (Rishikesh to Roorkee) 7. The Counsel for the applicant in her submissions have rased the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-



X x x x x x x x

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to

जिलाधिकारी
मन्साल(पौड़ी)

convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023."


A copy of the order dated 05.09.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE-1.

3. That in compliance of the abovementioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, the following steps were taken by the District Ganga Committee, Pauri Garhwal, as far as District Pauri Garhwal is concerned:-



Implementation and Compliance Report

Sr. No	Key paras of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016 issued by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Govt. of India, pertaining to District Ganga Committee's	Implementation of order by District Ganga Committee
1	53. Constitution of District Ganga Protection Committees	(1) In exercise of power conferred by sub-sections (1) and (3) of Environment Protection Act 1986 and para 53 of


जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

		<p>the 2016 order, Central Government constituted District Ganga Protection Committee in District Pauri Garhwal vide order S.O. 2249(E) [F. No Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol.-II) dated 18th July 2017.</p> <p>(2) The constitution of District Ganga Protection committee has been done as per para 53(2) of the 2016 order with District Magistrate as Chairperson, ex- officio members and nominated members.</p> <p>(3) District Ganga Committees have been meeting regularly since the constitution of DGPCs in 2017. More than 30 DGC meetings have been convened and various aspect of control, abatement and management of pollution in river Ganga and its tributaries have been discussed in holistic manner. All the minutes of the meetings held in the current year under DGC till date.</p> <p>(4) As per directions given by NMCG, District Ganga Committee, District Pauri Garhwal has been conducting their Monthly, Mandated, Monitored, Minutes meetings (4M meeting) with the minutes uploaded on digital dashboard - Ganga District performance monitoring system (GDPMS).</p>
2	54. Superintendence, direction, and control of District Ganga Committee	The superintendence, direction and control of the management of the DistrictGanga Committee is being exercised by National Mission for Clean Ganga through State Program Management Group (SPMG), Namami Gange, Dehradun Uttarakhand.




 जिलाधिकारी
 गन्धाल(पौड़ी)

		Meetings of Supervisory Committee and Executive Committee with Chairman of DGCs and representatives of different departments have been regularly convened under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand and Principal Secretary, Forest and Environment, Govt of Uttarakhand.
3	55. Function and powers of District Ganga Committees.	<p>1- Every district Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of river Ganga and its tributaries.</p> <p>2-Identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the river Ganga for protection of river Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;</p> <p>3-Taking remedial action at its own end for protection of river Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District.</p> <p>4- In the event of its inability to take remedial action, reporting to the National Mission for Clean Ganga and concerned state Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial</p>




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

		<p>actions.</p> <p>5-Taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this order so as to prevent the environmental pollution in the river Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.</p> <p>6-In case the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.</p> <p>7-The district Ganga committee shall take all the such emergency measures as specified in paragraph.</p> <p>All the minutes of the meetings held under DGC till date have been attached with the report.</p>
4	56. Designation of Nodal Officer.	<p>District Ganga Committee through Chairman, DGC has nominated as Nodal Officer for the purposes of this Order –</p> <p>(a) Gram Pradhans of Gram Sabha of 36 revenue villages in the areas abutting the River Ganga and its tributaries.</p> <p>(b) Chairperson of 7 Nagar Panchayat and Nagar Palika Parishads covering various revenue villages/wards abutting the river</p>




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

		<p>Ganga and its tributaries.</p> <p>The nodal officers have been entrusted with responsibilities as per para 56 of 2016 order. It includes responsibilities and power to take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area. He/she shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.</p>
5	57. Preparation of plans.	<p>As per directions of NMCG and State Programme Management Group, Namami Gange, a tributary wise plan/presentation has been prepared by DGC and submitted to SPMG, Namami Gange. Preparation of District Ganga Plan is underway. NMCG has conducted training cum workshops for preparation of District Ganga Plan (DGP) which has been attended by members of DGC.</p>

Report on issues raised by the Applicant

Sr. No.	Cities/ Panchayats	Issues raised pertaining to the District Pauri Garhwal	Action taken/initiated
1	Alaknanda Basin-Srinagar	1. Untapped Sewage	i. Under Namami Gange Programme Construction and Maintenance Unit (Ganga) Uttarakhand




 जिलाधिकारी
 मद्रास

			<p>Peyjal Nigam Srinagar has tapped two drains in Srikot (Srinagar) and diverted its flow to two sewage treatment plants (STPs) of Capacity 50 KLD and 75 KLD.</p> <p>ii. Under Namami Gange Programme Construction and Maintenance Unit (Ganga) Uttarakhand Peyjal Nigam Srinagar had tapped 17 identified drains in Srinagar and diverted their flow to two sewage treatment plants (STPs) of Capacity 1.0 MLD and 3.5 MLD.</p> <p>iii. Apart from this a mega DPR is being prepared to provide sewerage facility to entire Srinagar town under Hon'ble CM ghoshna no. 59/2023.</p>
		2. Municipal Solid Waste	<p>i. Legacy Waste – The old dumping yard, which was situated on the bank of river Alaknanda and which consisted of 18000 metric tonnes of legacy waste, has been shifted to Koti Laga Girgaon which is 2 KM from the river. A DPR of 98.40 Lacs is being finalised at Govt. level in order to process the legacy waste.</p> <p>ii. Solid Waste Management - The Govt.</p>




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल


			has approved solid waste management DPR with estimated cost of 7.0896 Crores, out of which 5.84 Crores has been disbursed. Request for proposal, feasibility report for the project have been sent to the Govt. Environment Impact Assessment approval and Forest clearance for the project have been obtained. The request for consent to establish has been raised to the SPCB Dehradun. Municipal Corporation Srinagar does 100% Door to Door collection and 70% segregation at source of solid waste.
		3. High Tourist influx at Devprayag	i. There is very less influx of tourist on the left bank of river Ganga which falls in Pauri Garhwal District.
		4. Landslides and land subsidence problems	i. As per the information received from Sub Divisional Magistrates, currently there is no requirement to shift /evacuate any village owing to land sinking.
		5 River Alaknanda runs dry during lean season (after the HEP)	I. In compliance with the orders passed by Hon'ble NGT in O.A No. 498/2015




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

			<p>Pushp Shaini Vs MoEFCC, Alaknanda Hydro Power Corporation Limited (APHCL) is releasing 15% (E-flows) of water towards the downstream of the Project and is scrupulously observing the directions of the above referred authority.</p> <p>II. The AHPCL is submitting the river discharge data/E-flows of the river at its Project site, with the concerned departments (CWC) on a daily basis.</p>
		6. Sand Mining riverbed.	<p>i. As per Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2001 amendment, 3 sand collection lots have been awarded via e-tendering/e-auctioning after environment clearance from competent authority. Sand is being extracted only in pre-determined quantity and depth via manual labour.</p> <p>ii. There is no uncontrolled</p>




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

			sand collection in the district.
		7. Agricultural run-off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals	<p>i. Agriculture Department runs three schemes to promote organic farming i.e. Namami Gange, Paramparagat Krishi Vikas Yojna, Rashtriya Krishi Vikas Yojna in three blocks which lie in the catchment of Alaknanda river, which covers 3970.752 ha. Of agricultural area.</p> <p>ii. In the above-mentioned area, the use of organic fertilizers and bio-pesticides is being promoted by the department amongst the farmers.</p> <p>iii. In the above area, chemical fertilizers and other pesticides are being used as per the advice of scientists.</p> <p>iv. Endosulfan is banned since 2011, Dieldrin is banned since 2003 and DDT is banned since 1985. These are not being used.</p>
2.	Ganga basin 1.Devprayag	8. Sewage/ FC status of STP operating and proposed	Under NGRB programme the flow of three drains is being tapped by Construction & Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

			Peyjal Nigam and with the help of sewer network is being diverted to three STPs of capacity 1.40 MLD, 1.50 KLD and 75 KLD.
	2. Swargashram Jonk	9. Sewage/ FC status of STP operating and proposed	<p>i. The solid waste of Nagar Panchayat Swargashram Jonk is being dumped 600 Mtrs away from the river.</p> <p>ii. Currently a STP of capacity 3 MLD is operational in Nagar Panchayat Swargashram Jonk which is operated by Jal Sansthan. The water only after treatment in the said STP is released in the river Ganga.</p>
	3. Rishikesh	10. Lots of hotels, tourists and related footprints, e.g., sold waste and sewage.	<p>i. The hotels/resorts do not dump solid waste in the river Ganga.</p> <p>ii. The hotels/resorts which are close to the river Ganga dispose the generated sewage through the soak pit method. One resort has its own functional STP.</p>
		11. Agricultural run off.	i. Agriculture Department runs three schemes to promote organic farming i.e., Namami Gange, Paramparagat Krishi Vikas Yojna, Rashtriya Krishi Vikas Yojna in three blocks which lie in the catchment of Alaknanda River, which covers




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

			<p>4064.03 ha. Of agricultural area.</p> <p>ii. In the above-mentioned area, the use of organic fertilizers and bio-pesticides is being promoted by the department amongst the farmers.</p> <p>iii. In the above area, chemical fertilizers and other pesticides are being used as per the advice of scientists.</p> <p>iv. Endosulfan is banned since 2011, Dieldrin is banned since 2003 and DDT is banned since 1985. These are not being used.</p>
<u>3.</u>	Drains in Ganga River Region. 1.Devprayag	12 Kodiana Devprayag	Under NGRB programme the flow of three drains is being tapped and with the help of sewer network is being diverted to three STPs of capacity 1.40 MLD, 1.50 KLD and 75 KLD.
	2.Rishikesh	13. Swarg Ashram STP Drain	Currently a STP of capacity 3 MLD is operational in Nagar Panchayat Swargashram Jonk. The water only after treatment in the said STP is released in the river Ganga.
	Industrial Estate in Ganga Basin	14. Industrial Effluents/ Waste.	i. SIDCUL – Total 133 units are currently working/established in 3




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

	Integrated Industrial Estate Kotdwar		<p>Industrial Estate (IIE Kotdwar, IE Balbhadrapur, IE Jashodharpur) in Kotdwar. ETPs have been established for the units that generate liquid waste. SPCB provides consent to operate (CTO) only after ETP has been established by the polluting unit.</p> <p>ii. Total 27 units are currently operational outside SIDCUL area, out of which only 2 units generate liquid waste. These 2 units send engine oil/gear oil outside the district for recycling and recycle as per rules.</p>
--	--------------------------------------	--	---

The detailed Compliance Report by District Ganga Protection Committee, Pauri Garhwal, Uttarakhand alongwith its Annexures is annexed hereto and marked as ANNEXURE-2.

4. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the District Ganga Protection Committee, District Pauri Garhwal, in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.



DEPONENT

जिलाधिकारी
गढ़वाल

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above Status report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at 11.00 A.M. Uttarakhand on this 17 day of November, 2023.



Sworn & Verified the Deponent Before
me on 17/11/2023 at 11 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public


DEPONENT
जिलाधिकारी
मकुवाल

Filed by:

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /
Respondent
C-203, LGF,
Defence Colony, N. Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

Item No. 09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****(BY HYBRID MODE)**Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)

M.C. Mehta

Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 05.09.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Ms. Katyayni, Adv. for Applicant

Respondent: Mr. Gigi C. George, Adv. for NMCG
Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand & SIDCUL
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB**ORDER**

1. This Original Application, registered after transfer of the CWP No. 2737/1985 from the Hon'ble Supreme Court, involves the issue of prevention, control and abatement of pollution of river Ganga. The Tribunal vide order dated 28.08.2023, had expressed that the matter will be heard State-wise/city-wise involving the State of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.




जिलाधिकारी
गढ़वाल

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abutting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

"53. Constitution of District Ganga Protection Committees.- (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-

(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;

(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;

(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;

d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,;



[Signature]
 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio

(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.


55. Functions and powers of District Ganga Committees.- (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State




 जिलाधिकारी
 पड़माल

Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.-

(1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order –

(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

(b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.-

(1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed."

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga


- i. Chamoli
- ii. Dehradun
- iii. Haridwar
- iv. Pauri Garhwal
- v. Rudraprayag
- vi. Tehri
- vii. Uttarkashi

Tributaries

- viii. Nainital
- ix. Almora
- x. Pithoragarh
- xi. Champawat
- xii. Bageshwar
- xiii. Udham Singh Nagar



5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.


 जिलाधिकारी
 गढ़वाल


6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:-


- I. Upper Himalayas (from source till Devprayag)
- II. Middle range (Devprayag till Rishikesh)
- III. Plains (Rishikesh to Roorkee)

7. The Counsel for the applicant in her submissions have raised the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

I. UPPER HIMALAYAS (from source till Devprayag)

#	Cities / Panchayats	Issues
1.	Bhagirathi Basin i. Chirbasa ii. Gangotri iii. Dharali iv. Harshil v. Dharasu vi. Uttarkashi vii. Ghanshali viii. Narendra Nagar ix. Tehri	<p>1. Receding glaciers which serves as the main source of fresh water supply for the Himalayan Rivers and their tributaries. Glacier retreat will directly impact- Food security, water security and energy security of the Northern part of the country.</p> <p>2. Unregulated Tourism leads to traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well.</p> <p>Gangotri-</p> <p>Scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology, (WIHG), an autonomous institution under Department of Science & Technology, in a study conducted at Chirbasa station near Gangotri Glacier, for the Year 2016, found that black carbon (BC) concentration in this region has changed drastically during summer.</p> <p>Black carbon is emitted as a result of incomplete combustion of fossil fuels, the use of brick kilns, household cooking with firewood and the burning of animal dung and coal briquettes. The combustion of fossil fuels in motor vehicles and aircrafts also contributes to the emission of black carbon.</p> <p>It was revealed by investigating the occasional high values of black carbon extricated, that the seasonal cycle of increase was significantly influenced by the emissions resulting from agriculture burning (in western part of the country), forest fires</p>




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

#	Cities / Panchayats	Issues
		<p>(along the Himalayan slopes) in summer, and to some extent by the contribution from long-range transport of pollutants in winter, depending the prevailing meteorological conditions.</p> <p>(As reported by WIHG, Ministry of Science & Tech, March 2020, PIB)</p> <p>3. Ecological Flow not maintained at the upper stretches of River basins owing to Dams/ weirs/ barrages and erratic rainfall patterns and drying of natural springs. Deforestation may also be a reason for drying up of small/ local streams.</p> <p>4. Sewage from Hotels/ dharmshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas.</p> <p>5. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.</p> <p>6. Narendra Nagar and Tehri- MSW disposal and legacy waste.</p>
2.	<p>Alaknanda Basin</p> <p>i. Mana village ii. Badrinath iii. Govindghat iv. Vishnuprayag v. Joshimath vi. Pipalkoti vii. Chamoli viii. Gopeshwar ix. Nandprayag x. Kaleshwar xi. Kamprayag xii. Gauchar xiii. Rudrapraya g xiv. Srinagar xv. Kirtinagar</p>	<p>1. Untapped Sewage</p> <p>2. Municipal solid waste</p> <p>3. High Tourist influx at all Prayags and Badrinath temple, leading to pollution (same as mentioned above)</p> <p>4. Joshimath and Chamoli- are experiencing serious landslides and land subsidence problems. State government had to evacuate many villages owing to land sinking.</p> <p>5. Srinagar- River Alaknanda runs dry during lean season (after the HEP)</p> <p>Sand mining at riverbed is also very rampant and unregulated (impacting river ecology, ground water in long run and availability of resource for inter- generational usage).</p> <p>6. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.</p>
3.	<p>Mandakini Basin</p> <p>i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni</p>	<p>1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag.</p> <p>2. MSW disposal- burning of waste (dumping in the valley)</p> <p>3. Sewage disposal</p> <p>4. Plastic waste and bottles</p> <p>5. Donkey/ horse dung disposed in the valley</p> <p>6. Floods/ landslides and avalanche- indicative of fragility of the region.</p> <p>7. Phata- Landslide zone, unstable slope.</p>
5.	<p>Yamuna Basin</p> <p>i. Baktot</p>	<p>1. Mostly clean at Yamunotri.</p>




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

#	Cities / Panchayats	Issues
	ii. Naugaon iii. Nainbagh iv. Vikasnagar v. Dhakrani	2. STP needed for towns/ panchayats with hotels and commercial buildings. 3. MSW disposal needed


II. MIDDLE RANGE (Devprayag till Rishikesh)

#	Cities/Panchayats	Issues
	<p><u>Ganga Basin</u></p> <p>i. Devprayag ii. Kaudiyala iii. Singtali iv. Byasi v. Shivpuri vi. Rishikesh</p> <p><u>Tributary cities</u></p> <p>i. Almora ii. Haldwani iii. Kashipur iv. Sitarganj</p>	<p>1. Devprayag- Sewage/ FC. Status of STP operating and proposed.</p> <p>2. Kaudiyala- Rishikesh: lots of hotels, tourists and related footprints, eg solid waste and sewage. Rishikesh also has SIDC Industrial Estate at Muni ki Reti.</p> <p>Tributaries cities- industrial and municipal/ legacy waste. Almora also witnesses mining issues.</p> <p>Agricultural run- off: Agricultural practices on the river bank may have considerable impact on contribution of pesticide residues such as total Endosulfan, Dieldrin and DDT.</p>

III. PLAINS (Rishikesh to Roorkee)

#	Cities/Panchayats	Issues
	<p><u>Ganga Basin</u></p> <p>i. Dehradun ii. Haridwar iii. Roorkee</p>	<p>1. Forest fires 2. water scarcity 3. sewage 4. MSW disposal 5. construction demolition waste 6. Industrial effluent discharge 7. Legacy waste 8. water consumption and waste water generation by Industries/ STPs and CETPs. 9. Mining</p>



जिलाधिकारी
गढ़वाल



Integrated Industrial Estate	SIDCUL	Private Industrial Estate
<ul style="list-style-type: none"> Integrated Industrial Estate, IIE Haridwar Integrated Industrial Estate, Pantnagar Integrated Industrial Estate, Kotdwar Integrated Industrial Estate, Dehradun (IT Park) Integrated Industrial Estate, Selaqui (Pharma City) Integrated Industrial Estate, Kashipur (Escort Farm) Integrated Industrial Estate, Sitarganj Phase II 	<ul style="list-style-type: none"> SIDC, Tatasu Mazadi, Karnaprayag SIDC, Muni Ki Reti (Rishikesh) SIDC, Selaqui (Dehradun) Textile Park, Kashipur SIDC Kashipur SIDC-Haridwar-Site-II 	<ul style="list-style-type: none"> Dev Bhoomi Industrial Estate, Bantakhedi, Roorkee. M/S Omega Industrial Estate, Dabhora, Ahatmali, Kashipur. Raipur Co-operative Industrial Area, Raipur-Bhagwanpur, Roorkee. M/S Mool Chand Industrial Estate Pvt. Ltd, M/S Gangapur Kashipur Industrial Area, Kashipur. M/S Rajpur-Bhagwanpur Industrial Area, Bhagwanpur, Roorkee. M/S Sara Industrial Estates Ltd. Shankarpur-Hukmatpur, Dehradun (Joint venture between IEL and SIIDCUL).

INDUSTRIAL & CETP PROFILE

Total Number of Industries, 2023	Total CETPs, 2023
12728 (890 water polluting)	3 CETPs- 1 CETP Pantnagar & 1 CETP US Nagar- non-compliant.



10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand

जिलाधिकारी
 गढ़वाल

for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023.


Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM


September 05, 2023
Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)
SN

11 TRUE COPY 11


जिलाधिकारी
गढ़वाल



Sworn & Verified the Deponent Before
me on 12/11/2023 at 11 AM/PM. at
Pauri Garhwal (U.K.)


Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

ANNEX 24304 - B

REPORT ON COMPLIANCE OF DIRECTIONS PASSED BY
HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI

IN

MC MEHTA V/S UNION OF INDIA

Original Application No. 200/2014

(C.W.P. No. 3727/1985)

(I.A. No. 340/2022)

AND

IMPLEMENTATION OF RIVER GANGA (REJUVENATION,
PROTECTION AND MANAGEMENT) AUTHORITIES ORDER 2016

**GANGA
GANGA**

DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE

DISTRICT PAURI, GARHWAL.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

का.आ. 2544(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला पौड़ी गढ़वाल के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

- | | | |
|-------|---|-------------------|
| (i) | जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल | - अध्यक्ष ; |
| (ii) | अधिसासी अभियंता, निर्माण प्रभाग, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी | - सदस्य; |
| (iii) | अधिसासी अभियंता, सिंचाई विभाग, श्रीनगर | - सदस्य; |
| (iv) | अधिसासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, श्रीनगर | - सदस्य; |
| (v) | अधिसासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल निगम, श्रीनगर | - सदस्य; |
| (vi) | सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून | - सदस्य; |
| (vii) | प्रभागीय वन अधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी | - सदस्य व संयोजक. |
- ख. नामित सदस्यगण :
- | | | |
|-------|--|----------|
| (i) | परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, पौड़ी | - सदस्य; |
| (ii) | अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, श्रीनगर | - सदस्य; |
| (iii) | जिला विकास अधिकारी, पौड़ी | - सदस्य; |
| (iv) | डॉ. प्रभाकर बदोनी, प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, एच. एन. बी. सेंटर युनिवर्सिटी, श्रीनगर | - सदस्य; |
| (v) | डॉ. सर्वेश उनियाल, पर्यटन पर्यावरण गढ़वाल, सेंटर युनिवर्सिटी, श्रीनगर | - सदस्य; |
| (vi) | श्री वासुदेव कंदारी, अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, श्रीनगर, गढ़वाल | - सदस्य. |

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।


जिलाधिकारी,
गढ़वाल

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 9th August, 2017

S.O. 2544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Pauri Gahwal of the State of Uttarakhand, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

- | | |
|---|------------------------|
| (a) District Collector, Pauri Garhwal | - Chairperson; |
| (b) Executive Engineer, Public Works Department, Construction Division, Pauri | - Member; |
| (c) Executive Engineer, Irrigation Department, Srinagar | - Member; |
| (d) Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Srinagar | - Member; |
| (e) Executive Engineer, Uttarakhand Peyjal Nigam, Srinagar | - Member; |
| (f) Assistant Environment Engineer, Regional office, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, Dehradun | - Member; |
| (g) Divisional Forest Officer, Garhwal, Forest Division, Pauri | - Member and Convenor. |

B. Nominated Members:

- | | |
|---|-----------|
| (a) Project Manager, Swajal Project, Pauri | - Member; |
| (b) Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Srinagar | - Member; |
| (c) District Development Officer, Pauri | - Member; |
| (d) Dr. Parabhakar Badoni, Lecturer, Chemistry Science, H.N.B Center University, Srinagar | - Member; |
| (e) Dr. Sarvesh Uniyal, Tourism Environment Garhwal, Center University, Srinagar | - Member; |
| (f) Mr. Vashudev Kandari, Chairman, Vyapar Mandal, Srinagar Garhwal | - Member. |

- The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette.
- The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga


जिलाधिकारी
गढ़वाल



Roles and Responsibility of District Ganga Protection Committee under River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016

Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the river Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016 under Environment (Protection) Act 1986.

In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abutting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report.

The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the Order are reproduced as under: -

53. Constitution of District Ganga Protection Committees.-

(1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-

- (a) The District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;
- (b) Not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;
- (c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;
- (d) Two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,
- (e) One Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio;
- (f) One District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non Ex -officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

55. Functions and powers of District Ganga Committees.-

(1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) Identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) Taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) In the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) Taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7. (ANNEXURE-1)

56. Designation of Nodal Officer- (1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order – (a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries; (b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action. (3) After receipt of the report under




जिलाधिकारी
गढ़वाण

sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans- (1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval. (2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed."

DIRECTIONS PASSED BY Hon'ble NGT WITH RESPECT TO IMPLEMENTATION OF 2016 ORDER

A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.

The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks.




जिलाधिकारी
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 2/11/2017 at 11.10 A.M P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

दिनांक 10/03/2023 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित
जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित अधिकारीगण-

1. सुश्री अपूर्वा पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2. श्री स्वप्निल अनिरुद्ध, उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, बाहरस्यू, पौड़ी।
4. डा० कमलेश भारती, ए०सी०एम०ओ०, पौड़ी।
5. श्री रविन्द्र सिंह, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी।
6. श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते बैठक आरम्भ की गई। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा दिनांक 10/02/2023 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार विभागों द्वारा आख्या प्रेषित न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। विभागवार समीक्षा के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजना निदेशक, नमामि गंगे परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं० 13/16-1(7), दिनांक 05/07/2021 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार "अर्थ गंगा मॉडल" का एक्शन प्लान तैयार किया जाना है जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत् हैं-

1. गंगा बेसिन क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
2. संसाधनों के उपयोग दक्षता बढ़ाना।
3. सतत वानिकी कार्य करना।
4. * जल संरक्षण कार्य करना।
5. जैव विविधता संरक्षण कार्य करना।
6. क्षमता एवं जन जागरूकता को मजबूत करना।
7. उपरोक्त कार्यों को बढ़ावा देना।

क्र०सं०	क्षेत्र	गतिविधियां	संबंधित विभाग
1.	पशुपालन	जानवरों की देखभाल एवं समुचित रख-रखाव। चारे के प्रकृति। पशु रोग का ज्ञान। पशु व्यवसाय का मॉडल।	पशुपालन विभाग
2.	मत्स्य पालन	गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों से निकलने वाली सिंचाई नहरों में मत्स्य पालन सहकारी समितियों के माध्यम आद्रभूमि में मत्स्य पालन जलाशयों में पिंजरे की पद्धति से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हिलसा मछली और जलीय कृषि	मत्स्य विभाग
3.	बागवानी	फल नर्सरी की स्थापना अंचल विशेष फल पट्टी	उद्यान विभाग
4.	पुष्पकृषि / सहित कृषि	कृषि-जलवायु आधारित उत्तम फसलें मौसमी फसलें जो बेहतर मूल्य प्राप्त करेगी। फसलों की जैविक प्रकृतिआर्थिक नकदी फसलें कुशल सिंचाई	कृषि विभाग
5.	वानिकी	वैज्ञानिक तकनीक से नर्सरी स्थापना एवं बढ़ावा देना पौध के स्रोत के रूप में नर्सरीबाजार नवाचार एवं रणनीति	वन विभाग
6.	संरक्षण	जल संरक्षण संबंधी कार्य	सिंचाई विभाग

"अर्थ गंगा मॉडल" का एक्शन प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए निम्न विवरण अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को समाहित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर वन विभाग को प्रेषित करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)


जिलाधिकारी
गढ़वाल



X नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत शून्य बजट आधारित प्राकृतिक खेती (zero budget natural farming) जिसमें प्राकृतिक रूप से बिना किसी रासायनिक खाद का प्रयोग किये खेती की जाये हेतु कृषि विभाग को पुनः निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित एक्शन प्लान एक सप्ताह के अन्दर तैयार करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही कृषि विभाग)

2. गंगा नदी की सहायक नदियों के ट्रीटमेन्ट से सम्बन्धित एक्शन प्लान, Tributary wise PPT तथा नदी पुनरुद्धार योजना माह अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह तक मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी को अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही स्वजल विभाग)

X वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु तैयार किये जाने वाले IEC (Information, Education and Communication) से सम्बन्धित एक्शन प्लान में निम्नानुसार बिन्दुओं को समाहित करते हुये 05 दिन के भीतर एक्शन प्लान जिलाधिकारी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये -

- आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 - माह अगस्त 2023
- स्वच्छता पखवाड़ा - दिनांक 16-31 मार्च 2023
- गंगा उत्सव - दिनांक 04/11/2023
- स्वच्छता ही सेवा - दिनांक 02/10/2023
- योगा दिवस - दिनांक 21/06/2023
- अन्य जिला विशिष्ट संदर्भ/आवश्यकताओं के अनुसार सार्वजनिक गतिविधियां

(कार्यवाही स्वजल विभाग)

4. नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बनाये गये एस0टी0पी0 के सेपटी ऑडिट हेतु आई0आई0टी0 रुड़की को नामित किया गया है, परन्तु बजट न मिलने के कारण सेपटी ऑडिट का कार्य नहीं करवाया जा सका है। बजट आवंटन हेतु उच्च स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

(कार्यवाही उत्तराखण्ड पेयजल निगम/उत्तराखण्ड जल संस्थान)

5. सम्पूर्ण जनपद अन्तर्गत Flood plain Zoning करने हेतु सिचाई विभाग को निर्देशित किया गया तथा Flood Plain zone में पूर्व से निर्मित स्ट्रक्चर तथा नव निर्माण किये जाने वाले स्ट्रक्चर से सम्बन्धित अद्यतन आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही सिचाई विभाग/जल निगम)

6. ग्रामीण एवं परिनगरीय क्षेत्रों में Sanitation Plan तैयार कर एक सप्ताह के भीतर मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही डी0डी0ओ0/डी0पी0आर0ओ0/जल संस्थान/स्वजल)

7. समस्त नगर निकायों को यह निर्देश दिये गये कि समस्त एस0टी0पी0 में आनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, तथा उसकी प्रगति को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)




जिलाधिकारी
गढ़वाल

24312

8. नगर पालिका श्रीनगर क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पादित 12 टन कूड़े में से अत्यधिक कूड़ा उत्पादन वाले क्षेत्र जैसे कि एस0एस0बी0 अकादमी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गोला बाजार आदि क्षेत्रों में उत्पादित कूड़े का एकत्रीकरण करते हुये सोर्स सेग्रिगेशन किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका श्रीनगर को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि यदि उक्त संस्थानों द्वारा सार्वजनिक स्थलों या नदियों में कूड़ा निस्तारण किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस प्रेषित करते हुये अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। नगर पालिका, श्रीनगर के द्वारा यह अवगत कराया गया कि श्रीनगर में अवस्थित ट्रैचिंग ग्राउण्ड के वर्तमान स्थल को परिवर्तित किया जा रहा है, नये चयनित स्थल पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने की कार्यवाही गतिमान है एवं वर्तमान ट्रैचिंग ग्राउण्ड से समस्त कूड़ा उठाया जा रहा है।

(कार्यवाही नगर निगम श्रीनगर)


9. नगर निगम कोटद्वार को विगत बैठक में नगर निगम, कोटद्वार अन्तर्गत स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थिति से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु नगर निगम, कोटद्वार के द्वारा आतिथि तक भी विषयगत प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः नगर निगम कोटद्वार को पुनः निर्देशित किया गया कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की अद्यतन स्थिति से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही नगर निगम कोटद्वार)

10. जनपद पौड़ी गढ़वाल में मौजूद समस्त चिकित्सालयों से उनके द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात की गई, जो कि निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	चिकित्सालय का नाम	बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारित करने की प्रकिया	अभ्युक्ति
1	जिला चिकित्सालय, पौड़ी	डीप ब्यूरियल पिट	एम0पी0सी0सी0, रुड़की, हरिद्वार से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।
2	जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी	एम0पी0सी0 रुड़की, हरिद्वार	एम0पी0सी0सी0, रुड़की, हरिद्वार साप्ताहिक रूप से वेस्ट निस्तारण करने हेतु ले जाती है।
3	बेस हास्पिटल, श्रीनगर	डीप ब्यूरियल पिट	एम0पी0सी0सी0, रुड़की, हरिद्वार से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।
4	बेस हास्पिटल, कोटद्वार	एम0पी0सी0सी0, रुड़की, हरिद्वार	एम0पी0सी0सी0, रुड़की, हरिद्वार साप्ताहिक रूप से वेस्ट निस्तारण करने हेतु ले जाती है।
5	समस्त CHC, AHC, राजकीय एलौपैथिक चिकित्सालय	डीप ब्यूरियल पिट	एम0पी0सी0सी0, रुड़की, हरिद्वार से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।




जिलाधिकारी
गढ़वाल

उक्त के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद अन्तर्गत अवस्थित समस्त सरकारी/गैरसरकारी चिकित्सालयों से उत्पादित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किस विधि से किया जा रहा है, का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें, यदि गैर सरकारी चिकित्सालयों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण सुनियोजित तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये नोटिस जारी करना सुनिश्चित करें, निर्गत किये गये नोटिस की प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी प्रेषित करें तथा आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत करायें।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी)


11. सिचाई विभाग, श्रीनगर को पूर्व आयोजित बैठक में Video library बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु सिचाई विभाग, श्रीनगर के द्वारा आतिथि तक भी उक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सिचाई विभाग, श्रीनगर को Video library बनाये जाने हेतु पुनः निर्देशित किया जाता है।

(कार्यवाही सिचाई विभाग, श्रीनगर)

12. नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला गंगा समिति के पास उपलब्ध धनराशि से श्रीनगर में गंगा आरती कार्यक्रम आयोजित करवाने के संबध में स्वजल विभाग/नगर पालिका श्रीनगर को आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुये विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदनार्थ जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही स्वजल विभाग/नगर पालिका ,देवप्रयाग)




जिलाधिकारी
गढ़वाल

!! कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी !!

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 3375 / नमामि0गंगे0 : पौड़ी, दिनांक: 27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 3 जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 4 उप जिलाधिकारी, बारहस्यूं, पौड़ी।
- 5 परियोजना प्रबन्धक स्वजल पौड़ी।
- 6 परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा पेयजल निगम श्रीनगर।
- 7 परियोजना अधिकारी, उरेड़ा, पौड़ी गढ़वाल।
- 8 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 9 मत्सय अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 10 जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 11 मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 12 मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 13 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पौड़ी।
- 14 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
- 15 अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई, पौड़ी।
- 16 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी (नोडल)।


प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, पौड़ी।




जिलाधिकारी
गढ़वाल

दिनांक 01/04/2023 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित
जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

40
130
199
5/4/23

उपस्थित अधिकारीगण-

1. सुश्री अपूर्वा पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2. श्री स्वप्निल अनिरुद्ध, उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, बाहरस्यू, पौड़ी।
4. श्री अजयवीर सिंह, उप जिलाधिकारी, श्रीनगर।
5. श्री दीपक रावत, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, पौड़ी।
6. श्रीमती कनुप्रिया, परियोजना प्रबन्धक, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, पौड़ी।
7. श्री जगदीश सिंह, सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, श्रीनगर।
8. श्रीमती मीनाक्षी, कनिष्ठ अभियन्ता, पेयजल निगम, श्रीनगर।
9. श्री नन्द किशोर सती, सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, पौड़ी।
10. श्री सुशील कुमार, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पौड़ी।
11. श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी।
12. श्री सचिन शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्रीनगर।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक आरम्भ की गई। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा दिनांक 10/03/2023 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कतिपय विभागों द्वारा आख्या प्रेषित न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। तत्पश्चात बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये-

1. समस्त नगर पालिकाओं में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान बनाये जाने हेतु समस्त नगर निकायों को निर्देशित किया गया तथा कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को 07 दिन के अन्दर अवगत करवाया जाये। समस्त नगर निकायों को यह निर्देश भी दिये गये कि यदि किसी संस्थान द्वारा सार्वजनिक स्थलों या नदियों में कूड़ा निस्तारण किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस प्रेषित करते हुये अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)

2. समस्त नगर निकाय "Detailed Gap Analysis (Capacity vs generation) of sewerage for each town falling along the river and its tributaries with projections up to 2040" विषय पर पीपीपीटी तैयार कर दिनांक 10/04/2023 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। नगर निकायों अन्तर्गत पूर्व से मौजूद एसपीपीपी की वर्तमान स्थिति एवं यदि किसी भी एसपीपीपी में उन्नयन की आवश्यकता हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)

3. नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बनाये गये एसपीपीपी के सेपटी ऑडिट हेतु आईआईटी रुड़की को नामित किया गया है, परन्तु आतिथि तक भी विषयगत प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्तानुसार जल निगम को यह निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित विषय पर अपनी आख्या 01 सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही जल निगम)




जिलाधिकारी
गढ़वाल

24316

4. समस्त नगर निकायों को यह निर्देश दिये गये कि समस्त एस0टी0पी0 में आनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, तथा उसकी प्रगति को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)

5. नगर पालिका श्रीनगर क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे लीगेसी वेस्ट रिमूवल के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या 01 सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही नगर पालिका श्रीनगर)

6. ग्रामीण एवं परिनगरीय क्षेत्रों हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना तैयार कर दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक जिलाधिकारी महोदय से समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समस्त नगर निकायों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी यमकेश्वर/कोट/खिर्सू)

7. Sludge Waste Management के विषय में चर्चा करते हुये जल निगम, वन विभाग एवं उद्यान विभाग को संयुक्त रूप से एक विस्तृत आख्या तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही वन विभाग/जल निगम/उद्यान विभाग)

!! कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी !!

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:-3512/16-V नमामि0गंगे0 : पौड़ी, दिनांक: 05/04/2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 3 जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 4 उप जिलाधिकारी, बारहस्यू, पौड़ी।
- 5 परियोजना प्रबन्धक स्वजल पौड़ी।
- 6 परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा पेयजल निगम श्रीनगर।
- 7 जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 8 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पौड़ी।
- 9 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, पौड़ी।
- 10 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
- 11 अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई, पौड़ी।
- 12 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी (नोडल)।
- 13 खण्ड विकास अधिकारी यमकेश्वर/कोट/खिर्सू।



प्रभागीय वनाधिकारी,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी/

सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, पौड़ी।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

2. श्री स्वप्निल अनिरुद्ध, उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, जिला विकास अधिकारी, पौड़ी।
4. श्री जितेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी।
5. श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, बाहरस्युं, पौड़ी।
6. श्री अजयवीर सिंह, उप जिलाधिकारी, श्रीनगर।
7. श्री दीपक रावत, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, पौड़ी।
8. श्रीमती कनुप्रिया, परियोजना प्रबन्धक, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, पौड़ी।
9. श्री जगदीश सिंह, सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, श्रीनगर।
10. श्री सुशील कुमार, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पौड़ी।
11. श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी।
12. श्री सचिन शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्रीनगर।
13. श्रीमती सीमा रावत, अधिशासी अधिकारी, सतपुली।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक आरम्भ की गई। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा दिनांक 01/04/2023 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कतिपय विभागों द्वारा आख्या प्रेषित न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। तत्पश्चात बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये—



1. सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान के द्वारा अवगत कराया गया कि Flood Plain zoning का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं अग्रेत्तर कार्यवाही अनुमन्य गतिविधियों के अनुसार की जायेगी।

(कार्यवाही सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान)

2. समस्त नगर निकायों को यह निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर विशेषकर गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, घुड़दौड़ी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुमाड़ी एवं कैंन्टोनमेन्ट बोर्ड लैन्सडौन आदि को चिन्हित करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)

3. समस्त नगर निकायों को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट के तहत व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किये जाने एवं विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट के तहत चालान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त के क्रम में जिस नगर निकाय के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किये जायेंगे उनकी आगामी बैठक में सराहना की जायेगी एवं प्रशंसित किया जायेगा।

24318

4. समस्त उपजिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवस्थित राजकीय/संयुक्त चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण प्रक्रिया की जांच करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि बायो मेडिकल वेस्ट नियमानुसार एवं उचित तरीके से ही निस्तारित किया जा रहा है।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी)

5. बैठक में यह तथ्य भी संज्ञान में आया कि विभिन्न ग्रामों एवं ग्राम सभाओं के द्वारा faecal material को सीधा गंगा की सहायक नदियों में निस्तारण किया जा रहा है। सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी उक्त विषय में जांच करते हुये यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गांव के द्वारा faecal material को गंगा या गंगा की सहायक नदियों में न डाला जाये।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी एवं नगर निकाय)

6. बैठक में उपस्थित डी०पी०आर०ओ० पौड़ी, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल एवं खण्ड विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि माह मई में 09 काम्पेक्टरों को प्रारंभ एवं क्रियाशील किया जाये।

(कार्यवाही डी०पी०आर०ओ०, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल एवं खण्ड विकास अधिकारी)

7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सतपुली को निर्देश दिये गये कि व्यासघाट में एक स्थल चिन्हित कर घाट बनाये जाने हेतु एक सुनियोजित प्रस्ताव तैयार किया जाये एवं जगह-जगह पर साइनेज/बोर्ड लगाये जाये, जिससे घाट पर अनावश्यक कूड़ा/प्रदूषण एकत्रित न हो एवं घाट स्वच्छ बना रहे।

(कार्यवाही नगर पंचायत सतपुली)

8. नगर निकाय कोटद्वार अन्तर्गत मौजूद लीगेसी वेस्ट के सम्बन्ध में जांच कर एक विस्तृत आख्या तैयार किये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी एवं उप वन संरक्षक, गढ़वाल को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी एवं उप वन संरक्षक गढ़वाल)

9. जल निगम के द्वारा विगत कई माहों से किसी भी एस०टी०पी० की रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत नहीं की गई जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी महादेय द्वारा आगामी बैठक में, समस्त एस०टी०पी० की स्वच्छता और क्षमता रिपोर्ट एवं जल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जल निगम को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जल निगम)




जिलाधिकारी
गढ़वाल

24319

!! कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी !!

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:-4017 /नमामि0गंगे0 : पौड़ी, दिनांक: मार्च, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

19/05/

- 1 जिलाधिकारी, गढ़वाल को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 3 जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 4 जिला पंचायती राज अधिकारी, गढ़वाल।
- 5 समस्त उप जिलाधिकारी, पौड़ी।
- 6 परियोजना प्रबन्धक, स्वजल पौड़ी।
- 7 परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा पेयजल निगम श्रीनगर।
- 8 जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 9 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पौड़ी।
- 10 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, पौड़ी।
- 11 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
- 12 अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई, पौड़ी।
- 13 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी (नोडल)।
- 14 समस्त खण्ड विकास अधिकारी।



Saw
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी /
 सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, पौड़ी।

[Signature]
 जिलाधिकारी,
 गढ़वाल

1. सुश्री अपूर्वा पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2. श्री स्वप्निल अनिरुद्ध, उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. श्री जितेन्द्र कुमार, जिला जल अधिकारी पौड़ी।
4. श्री दीपक रावत, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, पौड़ी।
5. श्रीमती कनुप्रिया, परियोजना प्रबन्धक, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, पौड़ी।
6. श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी।
7. श्री सचिन शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्रीनगर।
8. श्री रविन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम श्रीनगर।
9. श्री राजीव रंजन, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग पौड़ी।
10. श्री अर्जून कुमार, नगर पालिका परिषद पौड़ी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक आरम्भ की गई। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा दिनांक 11/05/2023 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कतिपय विभागों द्वारा आख्या प्रेषित न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। तत्पश्चात बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये -

1. समस्त नगर निकायों को यह निर्देशित किया गया कि नदियों के किनारें समूह बनाते हुये प्रत्येक समूह हेतु एक व्यक्तिगत अधिकारी नामित करें जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, जिसमें आम जनमानस, जन प्रतिनिधियों, स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों की भागीदारी को सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक स्वच्छता कार्यक्रम से पहले व कार्यक्रम के उपरान्त की फोटो गैलरी एवं उसके प्रभाव का एक संक्षिप्त विवरण तैयार करते हुए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पौड़ी (नोडल) को प्रेषित करेंगे, जो समस्त नगर निकायों से सूचना प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त नगर निकाय)

2. समस्त नगर निकायों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वच्छता कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल को एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन कर आमंत्रित करने हेतु एक कार्ययोजना तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी, गढ़वाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)

3. अर्थ गंगा एक्शन प्लान को तैयार किये जाने हेतु व्यासघाट को एग्लिंग प्वाइंट के रूप में विकसित किया जाना, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जॉक अन्तर्गत राफटिंग व पौराणिक पैदल यात्रा मार्गों के सौन्दर्यकरण, अमोला-दुग्ड़डा पैदल मार्ग, मालन नदी में एडवेन्चर एक्टिविटी एवं टूरिज्म गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु अर्थ गंगा एक्शन प्लान को तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।



4. Flood Plain zoning के कार्य को त्वरित गति से सम्पन्न करने हेतु ड्रोन को उपयोग में लाते हुये समस्त विडियो एवं फोटो की एक लाईब्रेरी तैयार की जाये जिसे जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा एवं Flood Plain zoning से देवप्रयाग घाट को पृथक रखा जाये।

(कार्यवाही सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान)

5. नगर निकाय श्रीनगर के द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीनगर एस0टी0पी0 में स्लज वेस्ट मैनेजमेन्ट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है, चूंकि वर्षाकाल में सीवर लाईन के अतिरिक्त नालों में भी जल स्तर काफी बढ़ जाता है। उक्त समस्या के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा नगर निकाय श्रीनगर को एक विस्तृत प्लान बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जल निगम)

6. आगामी माह में दिनांक 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाये जाने हेतु समस्त कार्यालयध्यक्षो को यह निर्देशित किया गया कि हरेला में किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी, गढ़वाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही समस्त विभाग)

7. बैठक में अतिक्रमण के विषय पर चर्चा करते हुये सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान को यह निर्देशित किया गया कि Flood Plain Zone में स्थित राजकीय भूमि को गूगल अर्थ में प्लॉट बनाते हुये प्रिंट लेकर एवं आनलाईन गूगल ड्राईव पर भी सुरक्षित रखा जाये।

(कार्यवाही सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान)

8. जल निगम के द्वारा विगत कई माहों से किसी भी एस0टी0पी0 की रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत नहीं की गई जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी महादेय द्वारा आगामी बैठक में समस्त एस0टी0पी0 की स्वच्छता और क्षमता रिपोर्ट एवं जल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जल निगम को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जल निगम)




जिलाधिकारी,
गढ़वाल

!! कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी !!

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:-5312 /नमामि0गंगे0 : पौड़ी, दिनांक: जून, 09, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गढ़वाल को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला पंचायती राज अधिकारी, गढ़वाल।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, पौड़ी।
6. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल पौड़ी।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई गंगा पेयजल निगम श्रीनगर।
8. जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पौड़ी।
10. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, पौड़ी।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
12. अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई, पौड़ी।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी (नोडल)।
14. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
15. श्री अजय कुमार, जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त विभागों से सूचना संकलित कर दिनांक 07.07.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



Sow
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी /
 सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, पौड़ी।

[Signature]
 जिलाधिकारी,
 गढ़वाल

दिनांक 13/07/2023 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित
जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित अधिकारीगण—

1. सुश्री अपूर्वा पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2. श्री दीपक रावत, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, पौड़ी।
3. श्रीमती कनुप्रिया, परियोजना प्रबन्धक, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, पौड़ी।
4. श्री राजीव रंजन, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग पौड़ी।
5. श्री हेमन्त कुमार, एस0आई0 नगर पालिका परिषद् पौड़ी।
6. श्रीमती लक्की शाह, उपवन प्रभागीय अधिकारी वन विभाग पौड़ी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक आरम्भ की गई। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा दिनांक 09/06/2023 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कतिपय विभागों द्वारा आख्या प्रेषित न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। तत्पश्चात बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये —

1. विगत माह की बैठक में समस्त नगर निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि नदियों के किनारें समूह बनाते हुये प्रत्येक समूह हेतु एक व्यक्तिगत अधिकारी नामित करें जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, जिसमें आम जनमानस, जन प्रतिनिधियों, स्कूल, कॉलेज व अन्य सस्थानों की भागीदारी को सुनिश्चित की जायें, प्रत्येक स्वच्छता कार्यक्रम से पहले व कार्यक्रम के उपरान्त की फोटो गैलरी एवं उसके प्रभाव का एक संक्षिप्त विवरण तैयार करते हुए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पौड़ी (नोडल) को प्रेषित करेंगे, जो समस्त नगर निकायों से सूचना प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे, उपरोक्त स्वच्छता कार्यक्रमों को नियमित रूप से किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है तथा साथ ही कार्यक्रमों की फोटो गैलरी एवं एक संक्षिप्त विवरण जल्द तैयार करने के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त नगर निकाय)

2. समस्त नगर निकायों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वच्छता कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल को एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन कर आमंत्रित करने हेतु एक कार्ययोजना तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी, गढ़वाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)

3. अर्थ गंगा एक्शन प्लान को तैयार किये जाने हेतु ब्यासघाट को एग्लिंग प्वाइंट के रूप में विकसित किया जाना, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौक अन्तर्गत राफटिंग व पौराणिक पैदल यात्रा मार्गों के सौन्दर्यकरण, अमोला-दुग्डुडा पैदल मार्ग, मालन नदी में एडवेन्चर एक्टिविटी एवं टूरिज्म गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु अर्थ गंगा एक्शन प्लान को तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय, पर्यटन विभाग एवं स्वजल)




जिलाधिकारी,
गढ़वाल

4. Flood Plain zoning के कार्य को त्वरित गति से सम्पन्न करने हेतु ड्रोन को उपयोग में लाते हुये समस्त विडियो एवं फोटो की एक लाईब्रेरी तैयार की जाये जिसे जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा एवं Flood Plain zoning से देवप्रयाग घाट को पृथक रखा जाये।

(कार्यवाही सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान)

5. नगर निकाय श्रीनगर के द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीनगर एस0टी0पी0 में स्तज वेस्ट मैनेजमेन्ट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है, चूंकि वर्षाकाल में सीवर लाईन के अतिरिक्त नालों में भी जल स्तर काफी बढ़ जाता है। उक्त समस्या के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा नगर निकाय श्रीनगर को एक विस्तृत प्लान बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जल निगम)

6. आगामी माह में दिनांक 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाये जाने हेतु समस्त कार्यालयध्यक्षो को यह निर्देशित किया गया कि हरेला में किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी, गढ़वाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही समस्त विभाग)

7. बैठक में अतिक्रमण के विषय पर चर्चा करते हुये सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान को यह निर्देशित किया गया कि Flood Plain Zone में स्थित राजकीय भूमि को गूगल अर्थ में प्लॉट बनाते हुये प्रिंट लेकर एवं आनलाईन गूगल ड्राईव पर भी सुरक्षित रखा जाये।

(कार्यवाही सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान)

8. जल निगम के द्वारा विगत कई माहों से किसी भी एस0टी0पी0 की रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत नहीं की गई जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी महादेय द्वारा आगामी बैठक में समस्त एस0टी0पी0 की स्वच्छता और क्षमता रिपोर्ट एवं जल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जल निगम को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जल निगम)

9. आगामी बैठक में समिति के समस्त अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया।

(समिति के समस्त विभागीय अधिकारी)




जिलाधिकारी
गढ़वाल

24325

!! कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी !!

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 208 / नमामि0गंगे0 : पौड़ी, दिनांक: जुलाई, 20, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गढ़वाल को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला पंचायती राज अधिकारी, गढ़वाल।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, पौड़ी।
6. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल पौड़ी।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुसूक्षण इकाई गंगा पेयजल निगम श्रीनगर।
8. जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पौड़ी।
10. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, पौड़ी।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
12. अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई, पौड़ी।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी (नोडल)।
14. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
15. जिला परियाजना अधिकारी, नमामि गंगे पौड़ी।



K

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल

2. श्री स्वप्निल अनिरुद्ध, उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. श्री प्रकाश खत्री, जिला पर्यटन अधिकारी, पौड़ी।
4. श्रीमती मनविन्दर कौर, जिला विकास अधिकारी, पौड़ी।
5. श्री दीपक रावत, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, पौड़ी।
6. श्री रवि एस0 नेगी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पौड़ी।
7. श्री मुकेश दत्त, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग पौड़ी।
8. श्री हेमन्त कुमार, एस0आई0 नगर पालिका परिषद् पौड़ी।
9. श्री सुधीर कुमार, अवर अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, पौड़ी।
10. श्री दामोदर सिंह, अवर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
11. श्री नितिन नौटियाल, पंचायती राज, पौड़ी।
12. श्री अजय कुमार, जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक आरम्भ की गई। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा दिनांक 13/07/2023 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कतिपय विभागों द्वारा आख्या प्रेषित न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। तत्पश्चात बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये -

1. विगत माह की बैठक में समस्त नगर निकायों को नदियों के किनारें समूह बनाते हुये प्रत्येक समूह हेतु एक व्यक्तिगत अधिकारी नामित कर व्यापक स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें आम जनमानस, जन प्रतिनिधियों, स्कूल, कॉलेज व अन्य सस्थानों की भागीदारी को सुनिश्चित किये जाने एवं प्रत्येक स्वच्छता कार्यक्रम से पहले व कार्यक्रम के उपरान्त की फोटो गैलरी व उसके प्रभाव का एक संक्षिप्त विवरण तैयार करते हुए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पौड़ी (नोडल) को प्रेषित करेंगे, जो समस्त नगर निकायों से सूचना प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे, उपरोक्त स्वच्छता कार्यक्रमों को नियमित रूप से किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त नगर निकाय)

2. स्वच्छता कार्यक्रमों की फोटो गैलरी एवं एक संक्षिप्त विवरण को संकलित रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम बैठक के पूर्व जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(कार्यवाही नगर निकाय पौड़ी)

3. आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 के अर्न्तगत दिनांक 13 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक होने वाले हर घर-हर घाट तिरंगा कार्यक्रम में पद यात्रा, स्वच्छता व झण्डा रोहण जैसे जन-जागरूकता कार्यक्रम करवाने एवं कार्यक्रमों के फोटो गैलरी बनाते हुए दिनांक 15 अगस्त 2023 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।



5. Flood Plain zoning के कार्य को त्वरित गति से सम्पन्न करने हेतु ड्रोन को उपयोग में लाते हुये समस्त विडियो एवं फोटो की एक लाईब्रेरी तैयार की जाये जिसे जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा एवं Flood Plain zoning से देवप्रयाग घाट को पृथक रखा जाये।

(कार्यवाही सिंचाई विभाग एवं जल संस्थान)

6. बैठक में अनुपस्थित समिति के निम्नलिखित विभागों को अग्रिम बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया।

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
2. मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिसर लैंसडाउन।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम श्रीनगर।
4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा पेयजल निगम, श्रीनगर।
5. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र कोटद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान पौड़ी।
7. नगर पालिका दुगड्डा, जौक, सतपुली।

(समिति के समस्त विभागीय अधिकारी)


!! कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी !!
 Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fax no:-01368-222215
 पत्रांक:- 58। /नमामि0गंगे0 : पौड़ी, दिनांक: 14 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गढ़वाल को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला पंचायती राज अधिकारी, गढ़वाल।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, पौड़ी।
6. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल पौड़ी।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा पेयजल निगम श्रीनगर।
8. जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पौड़ी।
10. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, पौड़ी।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
12. अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई, पौड़ी।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी (नोडल)।
14. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
15. जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे पौड़ी।




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल


 उपवन संरक्षक,
 गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी/
 सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति पौड़ी।

24328

दिनांक 08/09/2023 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्रीमती लक्की शाह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2. श्री दीपक रावत, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल पौड़ी।
3. श्री रविन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक पेयजल, श्रीनगर।
4. श्री माधौ सिंह, सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र कोटद्वार।
5. डॉ० अमित, ए०सी०एम०ओ०, पौड़ी।
6. श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका थलीसैण।
7. श्री गोवर्धन सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दुग्डडा।
8. श्रीमती सीमा रावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सतपुली।
9. श्री मनोज चौहान, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम।
10. श्री रवि नेगी, खनन अधिकारी, खनन विभाग पौड़ी।
11. श्री दिनेश सिंह नेगी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास पौड़ी।
12. श्री मुकेश दत्त, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई।
13. श्री मनोज, सिंचाई विभाग, श्रीनगर।
14. श्री एस०के० राय, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पौड़ी।
15. श्री हेमन्त कुमार, एस०आई० नगर पालिका परिषद् पौड़ी।
16. श्री मनमोहन सेमवाल, अवर अभियन्ता, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम।
17. श्री अजय कुमार, जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे, पौड़ी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक आरम्भ की गई। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा एस०पी०एम०जी० की Supervisory Committee & Executive Committee के पत्र संख्या 478/SPMG/Namami Gange/SC Dated 26-07-2023 का सन्दर्भ लेते हुए बिन्दु संख्या-2 Tributary wise plan/presentation from the District Ganga Committees में चाही गई आख्या प्रेषित न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये-

1. Detailed Gap analysis (Capacity vs generation) of sewerage for each tow falling along the river and its Tributaries with projections upto 2040 & Action plan to fill the capacity gap.
(कार्यवाही स्वजल)
2. Detail of the existing STPs their compliance status and plan for rehabilitation/up gradation (if required as per CPCB/NGT norms).
(कार्यवाही जल निगम/जल संस्थान)
3. A detailed status reports of industrial pollution in ganga basin & status of ongoing pollution abatement works in the Basin.
(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)
4. जनपद में आईईसी और सार्वजनिक आउटरीच जितनी भी गतिविधियां हुई है, समस्त गतिविधियों की सूचना कार्यालय गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही समस्त विभाग)


जिलाधिकारी
गढ़वाल



5. Jal Nigam to complete the district wise gap analysis for the remaining Districts of sewage generation and treatment. Also SIDCUL in co-ordination with UKPCB to do the gap analysis for industrial effluent generation and treatment and accordingly action plan to be prepared for both sewage and industrial effluent treatment.

(कार्यवाही जल संस्थान एवं सिडकुल कोटद्वार)

6. UDD to ensure the proper management of Solid Waste in all the Ganga towns and further expedite the remediation of the legacy waste. District Magistrates to take regular review on the progress made in the DGCs meeting. District Magistrate, Dehradun to intervene for sorting out the land issues of Rishikesh.

(कार्यवाही समस्त नगर निकाय)

अतः उपरोक्त कार्यवृत्त को दिनांक 20.09.2023 को सांयः 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय

को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

मसंक्र :- 1067 / नम्राभि गंगा : पौड़ी, दिनांक : 16 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल को सादर प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार।
4. उपजिलाधिकारी यमकेश्वर/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम श्रीनगर/उपजिलाधिकारी श्रीनगर।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी।
7. मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद लैन्सडाउन।
8. जिला पंचायती राज अधिकारी, गढ़वाल।
9. जिला विकास अधिकारी, पौड़ी।
10. जिला पर्यटन अधिकारी, पौड़ी।
11. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल पौड़ी।
12. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा पेयजल निगम श्रीनगर।
13. जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी (नोडल)।
15. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद श्रीनगर/दुगड़डा/नगर पंचायत जौक/सतपुली।
16. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान पौड़ी।
17. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम पौड़ी।
18. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर।
19. अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई पौड़ी।
20. उपनिदेशक/भू-वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई पौड़ी।



Saw
उपवन संरक्षक,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, पौड़ी।

[Signature]
जिलाधिकारी
गढ़वाल

दिनांक 13/10/2023 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित
जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित अधिकारीगण—

1. श्री स्वप्निल अनिरुद्ध, उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. श्री दीपक रावत, परियोजना प्रबन्धक, स्वजन पौड़ी।
3. श्री रविन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम श्रीनगर।
4. श्रीमती कनुप्रिया रावत, परियोजना प्रबन्धक, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन पौड़ी।
5. श्री रवि नेगी, जिला खान अधिकारी, भूतत्व खनिकर्म इकाई पौड़ी।
6. श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् पौड़ी।
7. श्री एस0 के0 राय, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान पौड़ी।
8. श्री दामोदर सिंह, अवर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पौड़ी।
9. श्री नितिन नौटियाल, जिला पंचायती राज पौड़ी।
10. श्री अजय कुमार, जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे पौड़ी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक आरम्भ की गई। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा दिनांक 08/09/2023 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कतिपय विभागों के साथ चर्चा की गई। तत्पश्चात बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिगेसी वेस्ट मैनेजमेन्ट पर जोर देते हुए बताया गया कि जनपद में जिन स्थानों पर लिगेसी वेस्ट स्थित है उन स्थानों एक विस्तृत आख्या तैयार की जानी है, जिसका अवलोकन जिला गंगा समिति की आगामी बैठक दिनांक 18.10.2023 को किया जाना सुनिश्चित हुआ है। उक्त आख्या को तैयार कर जिला गंगा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी एवं समस्त नगर निकाय)

2. जनपद में गांवों/नगरों से होकर गुजरने वाली नयार/गधेरे जिन्हे गंगा की सहायक नदियां भी कहा जा सकता है जो कि आगे जाकर गंगा नदी में समाहित होते हैं, ऐसे नयार/गधेरो (सहायक नदियां) गावों व नगरों से निकलने वाले सोलिड व लिक्विड वेस्ट के कारण दूषित होते जा रही है। जिसका प्रभाव गंगा नदी की अर्चिलता पर देखने को मिल रहा है। गंगा नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए इन नयार/गधेरो (सहायक नदियों) जिनमें सोलिड/लिक्विड वेस्ट प्रवाहित किया जा रहा है कि एक संक्षिप्त आख्या तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

3. नगर में स्थित ऐसे क्षेत्र जहाँ कचरा डंप किया जा रहा है ऐसे लैंडफिल साइट की विस्तृत आख्या तैयार कर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आगामी बैठक दिनांक 18.10.2023 तक प्रेषित किये जाने हेतु जिला गंगा समिति द्वारा निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी कोटद्वार एवं नगर आयुक्त कोटद्वार)

जिलाधिकारी
गढ़वाल



4. जनपद में स्थित कुल 5 STPs हैं, जिनका संचालन जल संस्थान व पेयजल निगम द्वारा किया जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इन STPs में Safety Audit किये जाने के लिए जिला गंगा समिति द्वारा निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही जल संस्थान सिवर डिवीजन)

5. नगर STPs से एकत्रित Sludge के निस्तारण हेतु जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि रेलवे, NH व जल संस्थान आपस में सामंजस्य स्थापित कर, रेलवे व NH के डंपिंग ग्राउण्ड जिसमें रेलवे द्वारा किये जाने वाले कार्यों से उत्पादित वेस्ट, मिट्टी इत्यादि को फेंका जा रहा है उन स्थानों पर नगर STPs से उत्पादित Sludge को निस्तारण किया जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही जल संस्थान)

6. सिंचाई विभाग द्वारा Flood Plain zoning के कार्य को सम्पन्न कर समस्त विडियो एवं फोटो की एक लाईब्रेरी तैयार कर जिला स्तर पर संधारित कर दी गई है। जिसको तैयार किये जाने में किये गये खर्च का प्रस्ताव बनाकर जिला गंगा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ताकि सूचना उच्च स्तर पर अग्रसारित की जा सके।

(कार्यवाही सिंचाई विभाग)

7. औद्योगिक तरल अपशिष्ट विभिन्न उद्योगों से उत्सर्जित किये जाते हैं जिनके लिए औद्योगिक यूनिट द्वारा ETPs स्थापित की गईं। जनपद में उपस्थित इन ETPs का Random Inspection हेतु जिला गंगा समिति द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(समस्त उपजिलाधिकारी)

8. श्रीनगर गढ़वाल में स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (STP) वर्तमान में जिनकी संख्या 4 है। इन STPs का निरीक्षण किये जाने के निर्देशित किया गया है जिसकी विस्तृत आख्या तैयार कर जिला गंगा समिति के समक्ष प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी श्रीनगर)



Saw
उपवन संरक्षक,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, पौड़ी।

[Signature]
जिलाधिकारी
गढ़वाल

!! कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी !!

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 1512 /नमामि0गंगे0 : पौड़ी, दिनांक: अक्टूबर, 17, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गढ़वाल को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला पंचायती राज अधिकारी, गढ़वाल।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, पौड़ी।
6. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल पौड़ी।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा पेयजल निगम श्रीनगर।
8. जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, पौड़ी।
10. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, पौड़ी।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
12. अधिशासी अभियन्ता, लघुसिंचाई, पौड़ी।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी (नोडल)।
14. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
15. जिला परियाजना-अधिकारी, नमामि गंगे पौड़ी।



SAN
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, पौड़ी।

[Signature]
जिलाधिकारी,
गढ़वाल

प्रेषक,

जिला पंचायतराज अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
वन विभाग पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक 1923 / सात-5 / नमामि गंगे / 2023-24 दिनांक 19, अक्टूबर, 2023

विषय :- गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्रों/गांवों में नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के पत्र संख्या 1806 दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना था।

अतः उक्त के क्रम में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्र के प्रत्येक गांव में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गंगा प्रहरी/गंगा मित्र/स्वयं सेवकों की समिति का गठन करते हुये सूचना संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्न :- यथोपरि।



प्रतिलिपि :-

1. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को अवलोकनार्थ।
5. जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल को अवलोकनार्थ।

भवदीय

जिला पंचायतराज अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

जिला पंचायतराज अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 17/11/2023 at 11:10 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

जिलाधिकारी
गढ़वाल

गंगा नदी एवं उसके सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्रों/गांवों में नोडल अधिकारी की सूचना।
जनपद- पौड़ी गढ़वाल।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नोडल अधिकारी/पदनाम	मो०न०	अभियुक्ति
1	द्वारीखाल	किन्नसुर	श्री दीपचन्द्र, ग्राम प्रधान श्री धीरज कुमार, ग्राम प्रहरी श्री राजी देवी, मो०न००३० श्री प्रवीण कुमार, यु०म००३०	8273058666 7579093246 9412970862 790672686	- - - -
2		कलियासौंड	श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम प्रधान श्री गिरीश पैन्चुली, ग्राम प्रहरी श्रीमती हेमन्ती देवी, श्री मनीष देव पाण्डे,	8979781525 8475817415 8126654394 8755352399	- - - -
		मन्दोली	श्रीमती सुरमि रावत, ग्राम प्रधान श्री पूरण सिंह, ग्राम प्रहरी श्रीमती पूनम देवी, मो०न००३० श्रीमती मोना देवी,	6397286367 9368813389	- - - -
		डुंगरीपंथ	श्रीमती ममता देवी, ग्राम प्रधान श्री अनुसुया सिंह, ग्राम प्रहरी श्री आयुष बहुगुणा, यु०म००३० श्री मनीष बहुगुणा	 	- - - -
3	पोखडा	-	-	-	-
4	बीरौखाल	-	-	-	-
5	पौडी	वेदगांव	श्रीमती पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान कु० निशा बलूनी, उप प्रधान कु०निकिता भट्ट, सदस्य श्रीमती सावित्री देवी सदस्य	7618432153 9760145447 7351164186 7248562537	- - - -
6	जयहरीखाल	-	-	-	-
7	रिखणीखाल	मज्याडीसैण	श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान श्रीमती ज्योति रावत नोडल अधिकारी श्री यतेंद्र कुमार सदस्य करिश्मा नेगी मो०न००३० श्री प्रदीप कुमार यु०म००३०	6396851068 9765168474 9837531482 8449323746 6397010495	- - - - -
8	नैनीडांडा	-	-	-	-
9	यमकेश्वर	कोटा	श्रीमती अनीता देवी, ग्राम प्रधान श्री सुखपाल सिंह राणा, ग्राम प्रहरी श्रीमती पूर्णा देवी, सदस्य श्री भूपन्द्र सिंह, सदस्य श्री प्रीतम सिंह राणा, ग्राम प्रधान श्री अंकित, ग्राम प्रहरी श्रीमती सरोजनी देवी,	9520209626 8057963461 8057963461 8630022320 7409076583 9627906022	- - - - - -




जिलाधिकारी
गढ़वाल

			म०म०द०अ०		
			श्री डब्यल सिंह यु०म०द०अ० -	8650448565	--
	नांद मल्ला		श्रीमती गीता देवी , ग्राम प्रधान	6395036704	--
			श्री धीरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रहरी	8755610683	--
			श्री विनोद सिंह ,सदस्य	9027947467	--
			श्री रविन्द्र सिंह	9639072959	--
	नकुची		श्री प्रदीप रावत, ग्राम प्रधान	9639505244	--
			श्री जयपाल सिंह ग्राम प्रहरी	9027947467	--
			श्री सोहन सिंह ,सदस्य	9540114594	--
			श्री राकेश सिंह , सदस्य	9917422614	--
	माला		कु० रंजना ग्राम प्रधान	7830523234	--
			श्री सरदार सिंह ग्राम प्रहरी	9758986183	--
			श्रीमती सावित्री देवी म०म०द०अ०	9756400981	--
			श्री सरोप सिंह सदस्य	9720705552	--
	झेंड		श्री विक्रम सिंह ग्राम प्रधान	9410352305	--
			श्रीमती लता देवी सदस्य	7249981580	--
			श्रीमती पदमिनी देवी सदस्य	7419733296	--
			श्री सुरेन्द्र सिंह सदस्य	8630002789	--
10	कोट	खडखोला	श्री भगवान दास प्रधान	9557945002	--
			श्री दीपक बलुनी, उपप्रधान	8979211009	--
			श्रीमती दमयन्ती देवी म०म०द०अ०	8979899626	--
			श्री पृथ्वी सिंह ,लिंगवाल ग्राम प्रहरी	9756450116	--
	सिल्सू		श्रीमती उर्मिला देवी , ग्राम प्रधान	9458941709	--
			श्री महेश कुमार , ग्राम प्रहरी	9690743912	--
			श्री दीवान सिंह सदस्य	7011281751	--
			श्री राहुल कुमार सदस्य	9389984775	--
	खेड़ा		श्रीमती किरन देवी , ग्राम प्रधान	9582140886	--
			श्री मनोज सिंह , ग्राम प्रहरी	8126172639	--
			श्री अमर सिंह यु०म०द०अ०	8126553398	--
			श्रीमती सुषमा देवी सदस्य	9068649902	--
	नौगांव		श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान	9837236071	--
			श्री किशन चन्द , ग्राम प्रहरी	8923069184	--
			श्री लक्ष्मण सिंह , सदस्य	6395636433	--
			श्री अंजु देवी सदस्य	9410521209	--
	जसपुर		श्री अनील लाल ग्राम प्रधान	9557257401	--
			कु० अंजली रावत म०म०द०अ०	8295088694	--
			श्री वीरेन्द्र सिंह ग्राम प्रहरी	8755023597	--
			श्री मकान सिंह सदस्य	--	--
	धोलकण्डी		श्रीमती सुमित्रा देवी ग्राम प्रधान	9634347879	--
			श्रीमती रोशनी देवी म०म०द०अ०	7055325790	--
			श्री वीरेन्द्र लाल ग्राम प्रहरी	9368851629	--
			श्रीमती मंजू देवी सदस्य	9917439417	--
	रामपुर		श्रीमती शाशिनी देवी ग्राम प्रधान	8445699163	--
			श्रीमती सरोजनी देवी म०म०द०अ०	7895435254	--
			श्री जगदम्बा प्रसाद ग्राम प्रहरी	9020798551	--




जिलधिकारी
गढ़वाल

			श्री आनन्द लाल सदस्य	9536034462	-
		जनासु	श्रीमती सरोजनी देवी ग्राम प्रधान	9520375512	-
			श्री हरीश रावत, यु०म०द०अ०	9520375512	-
			श्री विक्रम सिंह, ग्राम प्रहरी	8057662893	-
			श्रीमती सीमा देवी, सदस्य	8171272060	-
11	पावो	मिलाई	श्री गोपाल सिंह ग्राम प्रधान	8104697649	-
			श्रीमती सुनीता देवी सदस्य	6398574612	-
			श्रीमती लक्ष्मी देवी सदस्य	7409650255	-
			श्री प्रकाश ग्राम प्रहरी	6396424521	-
		संकर	श्रीमती समिला देवी ग्राम प्रधान	7455824982	-
			श्रीमती सुभागा देवी उपप्रधान	7055757254	-
			श्रीमती दिगम्बरी देवी, वार्ड सदस्य	9557204808	-
			श्री सरदार सिंह सदस्य	7456047130	-
		सिमखेत	श्रीमती रश्मि देवी ग्राम प्रधान	8126924757	-
			श्री जगत सिंह प्रहरी	7060475737	-
			श्री आकाश यु०म०द०सदस्य	7055390635	-
			श्री राकेश सिंह वार्ड सदस्य	8077019165	-
		पावो	श्री हरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान	9634321684	-
			श्रीमती सरोजनी देवी वार्ड सदस्य	8006416102	-
			श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रहरी	7895239630	-
			श्री गोख यु०म०द०	9068483747	-
12	एकरवर	गवाड तल्ला	श्री सुधीर कुमार ग्राम प्रधान	9839609136	-
			श्री चेत राम ग्राम प्रहरी	9927718620	-
			श्रीमती बीरा देवी, म०म०द०अ०	8650216232	-
			श्रीमती हेमन्ती देवी उपप्रधान	8958054434	-
		चौमासुधार	श्रीमती विनीता देवी ग्राम प्रधान	8126551750	-
			श्री गोपाल सिंह ग्राम प्रहरी	9601499693	-
			श्रीमती सुनीता देवी म०म०द०अ०	9634396248	-
			श्रीमती आरती देवी उप प्रधान	9627278955	-
		बौसाल मल्ला	श्रीमती पुष्पा देवी म०म०द०अ०	9675979827	-
			श्री देवेन्द्र सिंह यु०म०द०अ०	7088307459	-
			श्री विकास सिंह ग्राम प्रधान	8057755491	-
			श्रीमती नेहा देवी उपप्रधान	7088897942	-
13	दुगडडा	-	-	-	-
14	कल्जीखाल	बडखोलू	श्री रणवीर सिंह ग्राम प्रधान	7456981362	-
			श्रीमती संगीता देवी म०म०द०अ०		-
			श्रीमती उमा देवी म०म०द०स०		-
			श्री उत्तम सिंह क्ष०प०स०	7302720975	-
		विलखेत	श्रीमती सुमित्रा देवी ग्राम प्रधान	9870937084	-
			श्री त्रिलोक सिंह ग्राम प्रहरी	9528734982	-
			श्रीमती रीना म०म०द०अ०	8126378468	-
			श्री महेन्द्र सिंह यु०म०द०अ०	9548985314	-
		मरोडा (मनि०)	श्री भारती देवी ग्राम प्रधान	9084821780	-
			श्री भूपति नारायण ग्राम प्रहरी	6397857046	-
			श्रीमती विद्यावती देवी,	9639811424	-




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

			म०म०द०३१०		
			श्रीमती रेनु देवी सदस्य	6397857046	-
	नौगांव		श्री विक्रम सिंह ग्राम प्रधान	7983793948	-
			श्री मकान सिंह ग्राम प्रहरी		-
			श्रीमती किरनवाल क्षेत्री सदस्य	8057810991	-
			श्रीमती नीता देवी सदस्य		-
	अगरौडा		श्री कचिन्द्र सिंह ग्राम प्रधान	8979817230	-
			श्रीमती मालती देवी म०म०द०३१०	7466835277	-
			श्री किशोर कुमार ग्राम प्रहरी	8526374510	-
			श्रीमती सविता देवी क्षेत्री	7895430635	-
15	थलीसैंग	रणगांव	श्री प्रताप सिंह ग्राम प्रधान	6535076211	
			श्री प्रताप सिंह ग्राम प्रहरी		
			श्रीमती माहेश्वरी देवी, म०म०द०३१०	7451670914	
			श्रीमती अल्का देवी म०म०द०स०	7659032512	
	रौली		श्रीमती बौरा देवी ग्राम प्रधान	8954607802	
			श्री राजेन्द्र लाल ग्राम प्रहरी	7895516267	
			श्री मनुली देवी म०म०द०स०	9011228448	
			श्रीमती म०म०द०स०	9548783915	
	रौता (गडसारी)		श्रीमानस रावत ग्राम प्रधान	8535075211	
			श्रीमती रंजि देवी ग्राम प्रहरी	8979282628	
			रेनु म०म०द०३१०	8958127397	
			श्रीमती जमन्ती देवी म०म०द०स०	9718979743	
	जखोला		श्रीमती विमला देवी ग्राम प्रधान	8979462340	
			श्री दीपक कुमार ग्राम प्रहरी	9690206266	
			श्रीमती हेमा देवी म०म०द०३१०	9760817028	
			श्रीमती प्रतिभा देवी म०म०द०स०	8865930096	



Sworn & Verified the Deponent Before me on 21/12/2023 at 11:15 A.M./P.M. at Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

जिला पंचायतराज अधिकारी
पौडी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

दिनांक, 01 नवंबर 2023

पत्रांक 183/ न0आयु0 /2023-24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
पौड़ी गढ़वाल।

विषय- गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्रों/गावों में नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या- 1806 /21- प्रशा0अधि0,स्था0नि0-कार्या0आ0 /2023-24, पौड़ी दिनांक 19.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, पत्रानुसार प्राप्त निर्देशों के क्रम में सादर अवगत कराना है कि, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के गंगा नदी (संरक्षण सुरक्षा और प्रबन्धन) आदेश 2016, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुच्छेद 56 में विनिर्दिष्ट अनुच्छेद (ए) के अनुसार " गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के ग्राम सभा के सरपंच। " को गंगा प्रहरी/गंगा मित्र/स्वयं सेवक से संबंधित समिति के नोडल अधिकारी नामित किया जाना है।


श्रीनगर शहर, अलकनन्दा के तट पर विकसित है एवं नगर की स्वच्छता संबंधी मुख्य दायित्व नगर निगम श्रीनगर का है। नगर निगम श्रीनगर में वर्तमान में कोई बोर्ड गठित नहीं है एवं नगर निगम का समस्त रूप से संचालन हेतु प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी अधिकृत हैं।

अतः उपरोक्तानुसार आप, प्रशासक (जिलाधिकारी पौड़ी) महोदय, गंगा प्रहरी/गंगा मित्र/स्वयं सेवक से संबंधित समिति के नोडल अधिकारी हैं।




प्रतिलिपि:- प्रभारी वनाधिकारी महोदय, पौड़ी को सादर सूचनाार्थ।


नगर आयुक्त,
नगर निगम,
श्रीनगर गढ़वाल।


नगर आयुक्त,
नगर निगम,
श्रीनगर गढ़वाल।


Sworn & Verified the Deponent Before me on 01/11/2023 at 11:15 A.M./P.M. at Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public


जिलाधिकारी
गढ़वाल

गंगा नदी की सहायक नदियों को स्वच्छ व निर्मल बनाने हेतु प्रस्ताव


जनपद – पौड़ी गढ़वाल



प्रस्तावक : जिलाधिकारी, गढ़वाल

A handwritten signature in blue ink, followed by the printed name 'जिलाधिकारी, गढ़वाल' in blue ink.

गंगा नदी की सहायक नदियाँ



[Signature]
जिलाधिकारी

नयार नदी – पूर्वी व पश्चिमी नयार का परिचय

24341

- ▶ नयार नदी की दो धाराएं पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली आरक्षित वन रेंज से निकलती हैं।
- ▶ पूर्वी नयार लगभग 94 कि०मी० और पश्चिम नयार लगभग 91 कि०मी० की दूरी तक बहती है।
- ▶ सतुपली में दोनों धाराओं का संगम स्थल है और यहाँ से नयार नदी प्रारंभ होती है।
- ▶ लगभग 100 कि०मी० आगे नयार नदी व्यास घाट स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है।
- ▶ दोनों धाराएँ उत्तराखंड में दूसरी सबसे बड़ी गैर-हिमनदी और बारहमासी नदी प्रणाली बनाती हैं।

पूर्वी नयार के किनारे बसे मुख्य

गाँव/कर-बे

- ❖ ब्यासी
- ❖ थलीसैण
- ❖ बैजरो
- ❖ बीरोंखाल
- ❖ मैठाणा घाट
- ❖ संगलाकोटी

पश्चिमी नयार के किनारे बसे

मुख्य गाँव/कर-बे

- ❖ तिरपालीसैण
- ❖ माजरा महादेव
- ❖ पैठाणी
- ❖ पाबौ
- ❖ पाटीसैण

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 17/11/2022 at 11:15 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public




सतपुली – पूर्वी एवं पश्चिमी नयार का संगम

ब्यासघाट – नयार नदी का गंगा नदी से संगम

जिलाधिकारी
गढ़वाल

पूर्वी नयार नदी




जिलाधिकारी
गड़वाल

पूर्वी नयार के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे

ब्यासी

- ▶ 40 परिवार व जनसंख्या लगभग 180
- ▶ सभी घरों में गढ़्ढा युक्त व्यक्तिगत शौचालय निर्मित
- ▶ नदी में किसी प्रकार का मल प्रवाह होने के कोई प्रमाण नहीं
- ▶ सिल्गाइमा मुख्य गधेरा, जिसका नयार नदी में संगम



वस्तु स्थिति

कुछ स्थानों पर कूड़ा गधेरे में फेंका जाना जिसका नदी में प्रवाह होना


जिलाधिकारी

निवारण

- ▶ कूड़ा एकत्रीकरण व पृथकीकरण केंद्र की आवश्यकता
- ▶ नदी में मिलने से पूर्व गधेरे पर जाल निर्माण का प्रस्ताव

ढ्यारसी की वर्तमान रिथति

24345


70



सड़क किनारे एकत्रित कूड़ा

गधेरे की वर्तमान की रिथति

[Signature]
निराधिकारी
गदबान



24346
 पूर्वी नयार के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे
थलीसैण

- ▶ 890 परिवार व जनसंख्या लगभग 8200
- ▶ सभी घरों में गढ़ा युक्त व्यक्तिगत शौचालय निर्मित
- ▶ क्षेत्र नदी से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण कूड़ा नदी में प्रवाहित न होना
- ▶ पृथक्कीकरण केंद्र निर्मित व सफलतापूर्वक संचालित
- ▶ पृथक्कीकरण केंद्र के समीप कूड़ा एकत्रित है, जिसका तत्काल निस्तारण किया जाना प्रस्तावित
- ▶ सुलभ फाउंडेशन के माध्यम से बाज़ार में एक ई - रिक्शा का संचालन व सफाई कर्मचारी नियुक्त
- ▶ क्षेत्र की स्वच्छता संतोषजनक एवं गंधेरो की स्थिति भी साफ़


 जिलाधिकारी
 गढ़वाल





थलीसैण की वर्तमान स्थिति


24347

72

थलीसैण




18/01/2023 5:33 pm
30°1'11"N 79°3'9"E
Thalisain
Uttarakhand
Altitude:1695.0m
Speed:2.8km



18/01/2023 5:39 pm
30°1'9"N 79°3'8"E
National Highway 309
Thalisain
Uttarakhand
Altitude:1656.0m
Speed:1.4km

पृथकीकरण केंद्र के समीप
एकत्रित कूड़ा




जिलाधिकारी
गढ़वाल



24348 पूर्वी नयार के किनारे बसे मुख्य गाँव/कस्बे बैजरो

- ▶ 90 परिवार व जनसंख्या लगभग 640
- ▶ पशोल गाड का नयार नदी में संगम
- ▶ सभी घरों में गढ़ा युक्त व्यक्तिगत शौचालय निर्मित
- ▶ तीन रंगों के डस्टबिन बाज़ार के शुरुवात तथा अंत में निर्मित
- ▶ बाज़ार में सभी दुकानदारों को स्वजल योजना द्वारा डस्टबिन वितरित
- ▶ नाडेप कम्पोस्ट पिट निर्मित
- ▶ दो गढ़ा युक्त सामुदायिक शौचालय निर्मित
- ▶ बैजरो के सामने नदी पार मटेला ग्राम पंचायत स्थित, जिसमें 90 परिवार निवासरत



जिलाधिकारी
गढ़वाल


24349 बैजरा

वस्तु स्थिति	निवारण
<p>बड़े डस्टबिन मिश्रित कूड़े से भरे हुये, व कूड़ा विभिन्न स्थानों से सीधे नदी में फेंका जाना</p> <p>मटेला ग्राम पंचायत द्वारा भी कूड़ा सीधे नदी में फेंका जाना</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कूड़ा एकत्रीकरण व पृथकीकरण केंद्र की आवश्यकता ➤ सम्पूर्ण ग्राम पंचायत हेतु एक कॉम्पैक्टर की आवश्यकता ➤ कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण आवश्यक ➤ जागरूकता अभियान व सुधार न आने पर पेनल्टी
<p>नाडेप कम्पोस्ट पिट का उपयोग न किया जाना</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कम्पोस्टिंग हेतु जागरूकता आवश्यक
<p>निर्मित सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छता का अभाव</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संचालन एवं रखरखाव की आवश्यकता



बैजरो - विभिन्न स्थानों पर कूड़े का नदी में
24350
प्रवाह

75



GOVERNMENT OF U.T. INDIA
NATIONAL OPEN SCHOOL
P.O. GATEWAY
REG. NO. 10391/2012

निर्वाहिकारी
नक़्शान

पूर्वी नयार के किनारे से मुख्य गाँव/करबे बीरोंखाल

- ▶ 240 परिवार व जनसंख्या लगभग 4500
- ▶ नदी से काफी दूरी पर स्थित, जिसके कारण कूड़ा नदी में प्रवाहित न होना
- ▶ शहर का कूड़ा खाई में फेंका जाना जिस हेतु डस्टबिन स्थापित किये जाने प्रस्तावित
- ▶ गढ़ा युक्त सामुदायिक शौचालय निर्मित, परन्तु स्वच्छता का अभाव – रखरखाव की आवश्यकता



19/01/2023 11:41 am

29°50'23"N 79°1'51"E

National Highway 309

Patti Khali

Bharoli M

जिलाधिकारी
गढ़वाल



पूर्वी नयार के किचारे वसे मुख्य गाँव/करबे संगलाकोटी

- ▶ 80 परिवार व जनसंख्या लगभग 300
- ▶ सभी घरों में गढ़्ढा युक्त व्यक्तिगत शौचालय निर्मित
- ▶ यहाँ चल गाड स्थित है, जो रीठाखाल के गवाणी के पास पूर्वी नयार में मिलती है


वस्तु स्थिति	निवारण
बाजार के पास निर्मित पैदल पुल से कूड़ा सीधे नदी में प्रवाहित होना	<ul style="list-style-type: none"> ▶ पुल के दोनों तरफ जाल लगाए जाने की आवश्यकता ▶ नदी में मिलने से पूर्व नाले में जाल लगाया जाना
बाजार के मुख्य नाले में कूड़ा प्रवाह किया जा रहा है जो नदी में जा रहा है	<ul style="list-style-type: none"> ▶ डस्टबिन स्थापित किये जाने की आवश्यकता ▶ जागरूकता अभियान व सुधार न आने पर पेन्सुली
निर्मित सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छता का अभाव	<ul style="list-style-type: none"> ▶ संचालन व रखरखाव की आवश्यकता


 बिलाधिकारी
 गुडवाच




संगलाकोटी की वर्तमान स्थिति 24353

कूड़ा नाले में डालना



Garbage



कूड़ा पुल से नदी किनारे डालना

जिमीधिकार
गढ़वाल



Sworn & Verified the Deponent Before
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Pauri Garhwal

पश्चिमी नयार नदी



जिलाधिकारी
गुरुदास

24355 पश्चिमी नयार के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे तिरपालीसैण

- ▶ 170 परिवार व जनसंख्या लगभग 700
- ▶ सभी घरों में गढ़ा युक्त व्यक्तिगत शौचालय निर्मित
- ▶ नदी में किसी प्रकार का मल वहित होने के कोई प्रमाण नहीं
- ▶ दो बरसाती गधेरे, जिन्में पानी का स्राव वर्तमान में काफी कम व दोनों गधेरे साफ़ हैं



वस्तु स्थिति	निवारण
क्षेत्र में कूड़ा एकत्रित करने व इसके निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़े को सीधे नदी में फेंका जा रहा है।	कूड़ा एकत्रीकरण व पृथकीकरण केंद्र का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

बरसात के दौरान बाज़ार का कूड़ा करकट गधेरो के नदी में मिलने से पूर्व दोनों गधेरो पर जाल का माध्यम से नदी में मिलता है। निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।


जिल अधिकारी
गढ़वाल

पश्चिमी नयार के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे पैठाणी

- ▶ 05 ग्राम पंचायतों (डांग, खण्ड गाँव, धौलाड, कोटी, पाडुली एवं पंजियाणा) का मुख्य बाज़ार
- ▶ बाज़ार में लगभग 400 परिवार निवासरत व जनसंख्या लगभग 2000
- ▶ 05 बारामासी गधेरे (भरी गधेरा, सिलोटी गधेरा, चुटाणी गधेरा, खण्ड गाँव गधेरा एवं धौलाड गधेरा)
- ▶ पैठाणी में स्योलिखंड नयार का पश्चिमी नयार में संगम

व्यापार संग द्वारा एक ई - रिक्शा का संचालन व सफाई कर्मचारी नियुक्त स्वयं के संसाधनों से नियुक्त




वरतु स्थिति	निवारण
कूड़ा निस्तारण का उचित स्थान व व्यवस्था न होने के कारण कूड़े को जलाया जाना व सीधे नदी में फेंका जाना	कूड़ा एकत्रीकरण व् पृथक्कीकरण केंद्र का निर्माण एवं कॉम्पैक्टर की स्थापना की आवश्यकता
चुटाणी एवं धौलाड गधेरे मुख्य रूप से कूड़ा प्रवाहित किये जाने वाले गधेरे हैं	जाल लगाये जाने एवं प्रोटेक्शन दीवार के निर्माण की आवश्यकता

जल अधिकारी
गढ़वाल


24357



03/01/2023 12:56 pm
30°8'50"N 78°58'56"E
Khankra Khedakhal Rd
Paithani
Uttarakhand
Altitude: 1244.0m
Speed: 1.8km




कूड़े का नदी में प्रवाहन



03/01/2023 12:03 pm
30°8'46"N 78°58'54"E
Chakisain
Paithani
Uttarakhand
Altitude: 1228.0m
Speed: 2.8km



पैठाणी से बहती हुई पूर्वी नयार



[Handwritten signature]

पैठाणी - 24358 में फेंका जाना



03/01/2023 12:17 pm
 30°8'54"N 78°59'7"E
 Altitude: 1250.0m
 Speed: 2.1km/h


 जिलाधिकारी,
 गढ़वाल

वस्तु स्थिति

निवारण

नदी में मल-मूत्र प्रवाहित होना - नदी व नालों के किनारे बसे घरों द्वारा नदी में मल प्रवाहित होने की आशंका है।

➤ क्षेत्र हेतु FSTP का निर्माण – FSTP के निर्माण की आवश्यकता है।

➤ घरों में गढ़ा युक्त शौचालय निर्मित होने की जांच – घरों की जाँच व लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक। चेतावनी के उपरान्त भी सुधार न आने पर पेनल्टी के जरिये भी सख्ती लायी जा सकती है।

➤ गधेरों को नदी में मिलने से पूर्व टैप किया जाना - नदी में मिलने से पूर्व दोनों गधेरों को टैप किये जाने का प्रस्ताव है जिससे नदी में गन्दा पानी न जाए।



03/01/2023 12:57 pm
30°8'50"N 78°58'56"E
Chakisain
Paithani
Uttarakhand
Altitude: 1246 m


जिलाधिकारी,
गढ़वाच



पश्चिमी नयार के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे पाबौ


- ▶ नदी से लगभग 20 मी० दूरी व 50 मी० ऊचाई पर स्थित मुख्य बाज़ार
- ▶ बाज़ार में लगभग 400 परिवार निर्वासित, जिनकी जनसंख्या लगभग 2000
- ▶ 02 बारामासी गधेरों – चोपडियूं गधेरा तथा बिडोल्स्यूं गधेरा का मुख्य नदी में संगम
- ▶ ग्राम सभा तथा जिला पंचायत द्वारा एक ई - रिक्शा का संचालन व सफाई कर्मचारी नियुक्त
- ▶ कूड़ा नदी में डाले जाने से रोकने हेतु स्वजल परियोजना से 30 मी० प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण
- ▶ व्यापारियों को स्वजल परियोजना से एक एक कूड़ादान वितरित

▶ स्वजल परियोजना से 300 मी० नाली का निर्माण व सोख्ता पिट में निस्तारण
पूर्व में स्थित कूड़ादान भारी वर्षा के कारण रोड का हिस्सा टूटने से क्षतिग्रस्त


जिलाधिकारी
गढ़वाल



पश्चिमी नयार के 2436 नारे बसा पाबौ



03/01/2023 2:11 pm
30°6'4"N 78°53'2"E
Pabo
Uttarakhand
Altitude 959.0m
Speed 0.9km

[Signature]
जिलाधिकारी,
गढ़वाल



वस्तु स्थिति

निवारण

कूड़े को जलाया या सीधे नदी में फेंका जाना

निर्मित कूड़ादान क्षतिग्रत होना

- कूड़ादान का पुनः निर्माण आवश्यक
- कूड़ा एकत्रीकरण व् पृथकीकरण केंद्र की आवश्यकता
- सामुदायिक कम्पोस्ट पिट के निर्माण की आवश्यकता
- जागरूकता अभियान व सुधार न आने पर पेनल्टी



म
लाधिकारी
गढ़वाल

वरस्तु स्थिति	निवारण
<p><u>नदी में मल-मूत्र वहित होना</u> - नदी के निकट निर्मित भवनों के शौचालयों के गड्ढे नदी किनारे निर्मित हैं जिनका स्लज बरसात में नदी द्वारा बहाकर ले जाए जाने की संभावना है । इसके अतिरिक्त कुछ भवनों के पाइप भी नदी में खुल रहे हैं, जिनमें मल मूत्र होने की संभावना है ।</p>	<p>➤ <u>क्षेत्र हेतु FSTP का निर्माण</u> -FSTP निर्माण की आवश्यकता है ।</p> <p>➤ <u>घरों में गढ़वा युक्त शौचालय निर्मित होने की जांच</u> -घरों की जाँच व लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। चेतावनी के उपरान्त भी सुधार न आने पर पेनल्टी के जरिये भी सख्ती लायी जा सकती है ।</p> <p>➤ <u>प्रोटेक्शन दीवार का निर्माण</u> नदी के किनारे लगभग 500 मीटर प्रोटेक्शन दीवार की आवश्यकता है ।</p>



03/01/2023 2:12 pm
30° 6' 31.178" N 78° 53' 31.178" E
Pablo
Uttarakhand
Altitude: 540 m
Speed: 12 km/h

जिलाधिकारी
गढ़वाल

पश्चिमी नयार के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे पाटीसैण

- ▶ लगभग 400 परिवार व जनसंख्या लगभग 1600
- ▶ 03 बारामासी गधेरों के जरिये नदी में मल मूत्र व कूड़ा वहित होना

वस्तु स्थिति	निवारण
<p><u>नदी में गधेरों के जरिये मल-मूत्र वहित होना</u> – गधेरों के निकट निर्मित भवनों के शौचालयों का स्लज गधेरों के जरिये नदी में जाने की संभावना है।</p>	<p>▶ <u>क्षेत्र हेतु FSTP का निर्माण</u> – FSTP निर्माण की आवश्यकता है।</p> <p>▶ <u>घरों में गढ़ढा युक्त शौचालय निर्मित होने की जांच</u> – घरों की जाँच व लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। चेतावनी के उपरान्त भी सुधार न आने पर पेनल्टी के जरिये भी सख्ती लायी जा सकती है।</p> <p>▶ <u>गधेरों को नदी में मिलने से पूर्व टैप किया जाना</u> - नदी में मिलने से पूर्व दोनों गधेरों को टैप किये जाने का प्रस्ताव है जिससे नदी में गन्दा पानी न जाए।</p>



जिलाधिकारी
गुडनान

पश्चिमी नयार के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे सतपुली

- ▶ लगभग 1300 परिवार व जनसंख्या लगभग 7000 ।
- ▶ सतपुली का कुछ भाग नगर पंचायत सतपुली में तथा दूसरा ग्राम सभा में
- ▶ नगर पंचायत, सतपुली द्वारा अवगत कराया गया है कि निकाय हेतु फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के बायलौज का गज़ट प्रकाशन कर दिया गया है तथा सभी भवनों का फीकल स्लज नियमित रूप से कोटद्वार अथवा श्रीनगर के एस0टी0पी0 में भेजा जाता है ।
- ▶ इसके अतिरिक्त कूड़ा एकत्रीकरण व् पृथकीकरण केंद्र हेतु भूमि उपलब्ध है एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डी०पी०आर० भी स्वीकृत हैं जिसके अंतर्गत कूड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना की जाएगी ।

सतपुली में 02 बारामासी गधरे हैं, जो वर्तमान में साफ़ स्थिति में हैं ।


जिलाधिकारी
गढ़वांस





24366
सतपुली



मि. अ. म.
सतपुली



वस्तु स्थिति	निवारण
क्षेत्र में कूड़े का पृथकीकरण कर, जैविक कूड़े से खाद बना कर व प्लास्टिक को कॉम्पेक्टर द्वारा पैक कर शेष कूड़े को जलाया जा रहा है व नदी के किनारे एकत्रित किया जा रहा है।	नगर पंचायत सतपुली द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु स्वीकृत DPR के अनुसार कार्यवाही तत्काल की जानी आवश्यक है।



04/01/2023 11:38 am
 29°55'9"N 78°42'43"E
 Meerut - Pauri National Highway
 Satpuli
 Uttarakhand
 Altitude: 537.0m
 Speed: 0.3km/h


 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

वस्तु स्थिति

नदी में मल-मूत्र वहित होना - नदी के निकट निर्मित भवनों / होटलों के शौचालयों का स्लज नदी में जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कुछ भवनों के पाइप भी नदी में खुलते दिख रहे हैं, जिनमें मल मूत्र होने की संभावना है।



निवारण

➤ क्षेत्र हेतु FSTP का निर्माण
FSTP निर्माण की आवश्यकता है।

➤ घरों में गढ़ा युक्त शौचालय निर्मित होने की जांच - घरों की जाँच व लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। चेतावनी के उपरान्त भी सुधार न आने पर पेनल्टी के जरिये भी सख्ती लायी जा सकती है।


निलाधकारी
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 21/11/2025 at 20 A.M./P.M. at
Pauri-Garhwal (U.K.)




Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

खोह नदी




जिलाधिकारी
गढ़वाल

- ▶ खोह रामगंगा की एक सहायक नदी है, जो सिलगाड़ व लंगूरगाड़ से मिलकर दुगड्डा में बनती है।
- ▶ खोह नदी में पानी का स्तर वर्षा ऋतु में काफी बढ़ जाता है परन्तु अन्य समय इसका स्तर न्यूनतम रहता है।
- ▶ कोटद्वार खोह नदी के तट पर बसा एक प्रमुख नगर है। इसके किनारे पर सिद्धबली धाम भी स्थित है।
- ▶ बिजनौर ज़िले में यह उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ इसका संगम रामगंगा नदी से हो जाता है।



24371

खोह नदी के किनारे
बसे मुख्य गाँव/करबे

- ❖ फतेहपुर
- ❖ दुगड्डा
- ❖ कोटद्वार



बिजनोर के आगे खोह नदी रामगंगा नदी में मिल जाती है


जिलाधिकारी
गढ़वास


24372 खोह नदी के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे फतेहपुर

- ▶ फतेहपुर लैंसडाउन से कोटद्वार को आने वाले मार्ग पर स्थित है, जहां लगभग 30-40 परिवार निवास करते हैं।
- ▶ नदी के समीप कुल 10 रिसोर्ट निर्मित हैं, जिनमें से 02 रिसॉर्ट्स – रियो रिसोर्ट (15 कमरे) एवं 7 स्टार (12 कमरे) रिसोर्ट का औचक निरीक्षण किया गया।
- ▶ उक्त दोनों रिसॉर्ट्स में कूड़ा पृथकीकरण / एकत्रीकरण स्थल स्वयं के संसाधनों से निर्मित हैं।
- ▶ कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण कूड़े को जलाया जाता है।
- ▶ रिसॉर्ट्स में सीवर पिट निर्मित पाए गए।
- ▶ नदी स्वच्छ व निर्मल पायी गयी व किसी प्रकार का मल मूत्र नदी में वहन होता नही पाया गया।



जिलाधिकारी
गढ़वाल



फतेहपुर में निर्मित रेसोर्ट्स 24373



नदी की वर्तमान स्थिति 98



रियो रिसोर्ट - कूड़ा एकत्रीकरण / पृथकीकरण केंद्र

खोह नदी के किनारे से मुख्य गाँव/करबे दुगड्डा

- ▶ दुगड्डा सिलगाड़ एवं लंगूरगाड़ के संगम पर स्थित है, जहां से खोह नदी प्रारम्भ होती है।
- ▶ यह नगर पालिका परिषद् क्षेत्र है - लगभग 1500 परिवार व जनसख्या लगभग 9000।
- ▶ नदी के तट पर गढ़वा युक्त 08 सामुदायिक शौचालय निर्मित हैं एवं 02 मोबाइल टॉयलेट स्थापित हैं।
- ▶ शहर नदी के निकटतम तटवर्ती स्थित।



कूड़ा

वस्तु स्थिति

नदी में कूड़ा फेंका जाना तथा नदी के तट पर कूड़ा जलाया जाना


- शहर नदी के निकटतम तटवर्ती स्थित होने के कारण नगर क्षेत्र का समस्त ग्रे वाटर एवं कूड़ा नदी में प्रवाह होने की अत्यधिक संभावना है। पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण कूड़े को नदी के तट पर एकत्रित कर जलाया जा रहा है।

निवारण

नगर पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण प्लांट स्थापित किये जाने हेतु स्थल चिह्नित है परन्तु जन आपत्ति के कारण कार्य बंद है। उक्त हेतु उचित व्यवस्था बनाई जानी प्रस्तावित है।



नदी किनारे पालिका द्वारा निर्मित कूड़ा एकत्रीकरण केंद्र



कूड़े व ग्रे वाटर का नदी में प्रवाह

निकाधिकार
मकुवाल

वस्तु स्थिति	निवारण
<p><u>नदी में मल-मूत्र वहित होना</u> - नगर क्षेत्र में नदी किनारे निर्मित घरों के सीवर पिट नदी किनारे बनाये गए हैं, जिनसे नदी के प्रदूषित होने की अत्यधिक संभावनाएं हैं।</p>	<p>➤ <u>क्षेत्र हेतु FSTP का निर्माण</u> – FSTP निर्माण आवश्यक है तथा ऐसे स्थानों पर पक्के गड्ढे निर्मित कर उन्हें नियमित रूप से खाली किये जाने के सम्बन्ध में बायलोज निर्मित किये जा सकते हैं।</p>



नदी किनारे सीवर गड्ढों का निर्माण

जिनेन्द्र शर्मा
नवनाथ



खोह नदी के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे कोटद्वार

- ▶ कोटद्वार शहर खोह नदी के तट पर स्थित है, जहां सुखरो नदी एवं मालिनी नदी भी बहती है।
- ▶ यह नगर निगम क्षेत्र है, जिसकी जनसंख्या लगभग 03.00 लाख है।
- ▶ शहर नदी के निकटतम तटवर्ती पर बसा हुआ है एवं यहाँ मशहूर सिद्धबली मंदिर भी स्थित है।
- ▶ शहर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है।

वस्तु स्थिति	निवारण
सिद्धबली मंदिर के निकट स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा नदी में अत्यधिक मात्र में कूड़ा फेंका जा रहा है।	कूड़े के प्रवाह को तत्काल रोका जाना एवं ऐसी जगहों पर जाल निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।



19/03/2023 13:52 pm

वस्तु स्थिति	निवारण
<p><u>नदी में कूड़ा फेंका जाना तथा नदी के तट पर कूड़े एकत्रित होना-</u> शहर नदी के निकटतम तटवर्ती स्थित होने के कारण नगर क्षेत्र का समस्त ग्रे वाटर एवं कूड़ा नदी में प्रवाह होने की अत्यधिक संभावना है। निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु नदी के तट पर कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है।</p>	<p>कूड़ा निस्तारण हेतु शासन द्वारा 14 करोड़ की DPR स्वीकृत की गयी है, जिसमें वर्तमान में मशीनरी क्रय कर ली गयी है व स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है। कूड़ा निस्तारण प्लांट को हल्द्वू खाता में 1 हे० की जमीन पर स्थापित किया जाएगा, जिस हेतु नगर निगम द्वारा भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गयी है। वर्तमान स्थल को कूड़ा पृथकीकरण एवं MRF प्लांट हेतु उपयोग किया जाएगा।</p>



नदी किनारे निगम द्वारा निर्मित कूड़ा निस्तारण केंद्र

अधिकारी
द्वारा

24379



नदी किनारे कूडे का एकत्रीकरण




I have sworn & verified the Deposition before me on _____ at _____ Pauri Garhwal (U.K.)


Bharendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

नदी किनारे निगम द्वारा निर्मित कूड़ा निस्तारण केंद्र




सुखरो नदी




जिलाधिकारी
पदवान

- ▶ सुखरो नदी का उद्गम सिलोगी रेंज (स्थानीय) से होता है, जो कोटद्वार के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए नजीबाबाद के पास राम गंगा नदी में मिल जाती है।
- ▶ यह एक बरसाती नदी है, जिसके पानी का स्तर वर्षा ऋतु में काफी बढ़ जाता है परन्तु अन्य समय में इसमें जल प्रवाह नहीं होता है।


जिलाधिकारी
गढ़वाच



वस्तु स्थिति	निवारण
<p>2 स्थानीय नालों के माध्यम से बाज़ार का कूड़ा नदी में जाता है। दोनों नालों का वर्तमान में न्यून प्रवाह है परन्तु बरसात में इनका स्तर काफी बढ़ जाता है व शहर का कूड़ा नाले के माध्यम से नदी में प्रवेश करता है।</p>	<p>कूड़े का प्रवाह नदी में होने से रोकने हेतु उक्त नालों में जाल लगाने की आवश्यकता है एवं कूड़े को नालों में डालने से रोके जाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।</p>

[Handwritten Signature]

जिलाधिकारी
गढ़वाल




कौड़िया नाले की वर्तमान स्थिति

वस्तु स्थिति	निवारण
<p><u>नदी में मल-मूत्र वहित होना</u> - नगर क्षेत्र में सीवर लाइन बिछी हुई है परन्तु STP का निर्माण नहीं होने के कारण सीवर कौड़िया चेक पोस्ट के पास से नदी में छोड़ा जा रहा है।</p>	<p><u>क्षेत्र हेतु STP का निर्माण</u> – गंगा प्रदूषण इकाई, ऋषिकेश द्वारा 8 MLD का STP काशी रामपुर में व 3.50 MLD का STP कौड़िया में प्रस्तावित है तथा 2 SPS मद्रासी कॉलोनी व गाड़ीगाड़ में प्रस्तावित हैं, जिनकी DPR तैयार की गयी है जो स्वीकृति हेतु NMCG स्तर पर लंबित है।</p>



जिलाधिकारी
गढ़वाल



शहर के सीवर का नदी में प्रवाह

24384

109


न. न. अधिकारी
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent before
me on 17/03/2023 at 11:20 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)


Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public



शहर के सीवर का नदी में प्रवाह

19/03/2023 4:11:47

मालिनी नदी




जिलाधिकारी
गढ़वाल

- ▶ मालिनी नदी का उद्गम सिलोगी रेंज (स्थानीय) से होता है, जो राजा जी नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगल से होते हुए बैराज में गंगा नहर में मिल जाती है।
- ▶ यह एक बरसाती नदी है, जिसके पानी का स्तर वर्षा ऋतु में काफी बढ़ जाता है परन्तु अन्य समय में इसमें जल प्रवाह नहीं होता है।
- ▶ नदी का पूर्ण रूप से जंगल में प्रवाहित होती है व इन नदी में कोई भी आबादी क्षेत्र नहीं है।



हेंवल नदी




जिलाधिकारी,
गढ़वाल

- ▶ हेंवल नदी गंगा की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम चेलुसैण से होता है।
- ▶ हेंवल नदी में पानी का स्तर वर्षा ऋतु में काफी बढ़ जाता है परन्तु अन्य समय इसका स्तर न्यूनतम रहता है।
- ▶ मुख्य तौर पर यह नदी जंगल से गुजरती है एवं कुछ छोटे कस्बे इसके तट पर बसे हुए हैं जिनमें जनसँख्या तो काफी कम है परन्तु नदी किनारे कैम्प , रिसोर्ट आदि निर्मित होने के कारण नदी प्रभावित हो रही है।


जिलाधिकारी



24389

हेंवल नदी के किनारे बसे मुख्य गाँव/करबे

- ❖ रत्ती पानी
- ❖ घट्टू गाड़
- ❖ बैरागड
- ❖ मोहन चट्टी
- ❖ बिजनी चट्टी / नैल




बिलाधिकारी
गढ़वाल

रत्ती पानी – हेंवल नदी का गंगा नदी से संगम

- नदी के तट पर लगभग 15 रिसोर्ट निर्मित है, जिनमें से 02 रिसोर्ट्स (360 डिग्री रिसोर्ट एवं फूल चट्टी रिसोर्ट) का औचक निरीक्षण किया गया।
- दोनों में सेप्टिक टैंक निर्मित पाए गए व वर्तमान में नदी साफ़ पायी गयी।
- रिसोर्ट्स के प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र के सभी रिसोर्ट्स द्वारा कूड़े हेतु स्वयं के स्तर से कूड़ा वाहन लगाया गया है जो नगर निगम ऋषिकेश के प्लांट में कूड़ा निस्तारण हेतु ले जाता है।

मि. रा. ध. कारी



NOTARY
 M/S. MEGH
 NOTARY PUBLIC
 Patti Chhwal
 Reg. No. 10917/2012
 GOVT. OF U.K. INDIA

2439 गाड़

- नदी के तट पर लगभग 50 रिसोर्ट निर्मित है।
- सभी में सेप्टिक टैंक निर्मित हैं, परन्तु कुछ का बॉटम स्तर नदी के स्तर के नीचे है।
- वर्तमान में नदी साफ़ पायी गयी, कूड़ा और स्लज का प्रवाह नदी में होते हुए नहीं पाया गया।
- रिसॉर्ट्स के प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र के सभी रिसॉर्ट्स द्वारा कूड़े हेतु स्वयं के स्तर से कूड़ा वाहन लगाया गया है जो नगर निगम ऋषिकेश के प्लांट में कूड़ा निस्तारण हेतु ले जाता है।




जिलाधिकारी
गढ़वाल

- नदी के तट पर लगभग 35 रिसोर्ट निर्मित है।
- सभी में सेप्टिक टैंक निर्मित हैं, परन्तु कुछ का बॉटम स्तर नदी के स्तर के नीचे है।
- वर्तमान में नदी साफ़ पायी गयी, कूड़ा और स्लज का प्रवाह नदी में होते हुए नहीं पाया गया।
- रिसोर्ट्स के प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र के सभी रिसोर्ट्स द्वारा कूड़े हेतु स्वयं के स्तर से कूड़ा वाहन लगाया गया है जो नगर निगम ऋषिकेश के प्लांट में कूड़ा निस्तारण हेतु ले जाता है।


 अधिकारी
 नववा



वस्तु स्थिति	निवारण
<p>➤ नदी में सीवर का प्रवाह पाया गया एवं जांच करने पर स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि रात्री के समय अज्ञात रिसॉर्ट्स द्वारा सीवर नदी में छोड़ा जाता है।</p>	<p>➤ सीवर का नदी में प्रवाह रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।</p> <p>➤ क्षेत्र के रिसॉर्ट्स की जांच की आवश्यकता है।</p>





24394

सीवर का नदी में प्रवाह

119

निर्वाहकारी
पत्राज्ञा

ROTARY
N.S. NEGI
2074
Reg. No. 1001/2012
Dist. of J.K.

सीवर का नदी में प्रवाह

24/03/2023 11:30:08 am
30.06084345281124N 78.38817302137613E
Altitude: 386.0m
Speed: 0.9km



24/03/2023 11:30:08 am
30.06084345281124N 78.38817302137613E
Altitude: 386.0m
Speed: 0.9km

वस्तु स्थिति	निवारण
<p>➤ यहाँ लगभग 30 रिसोर्ट निर्मित है एवं "Avenue – 18" रिसोर्ट का औचक निरीक्षण किया गया।</p> <p>➤ Avenue – 18 में कुल 120 कमरे निर्मित हैं, परन्तु वर्तमान में कुल 65 कमरे संचालित किये जा रहे हैं।</p> <p>➤ रिसोर्ट में कम्पोस्ट प्लांट तथा 16 KLD का FSTP स्थापित है, परन्तु निरीक्षण के दौरान FSTP कार्यशील नहीं पाया गया।</p> <p>➤ रिसॉर्ट्स के प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र के सभी रिसॉर्ट्स द्वारा कूड़े हेतु स्वयं के स्तर से कूड़ा घाहन लगाया गया है जो नगर निगम ऋषिकेश के प्लांट में कूड़ा निस्तारण हेतु ले जाता है।</p>	<p>➤ "Avenue – 18" रिसोर्ट तथा क्षेत्र के अन्य बड़े रिसॉर्ट्स द्वारा फीकल स्लज का उचित प्रबंधन कराया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>➤ क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर सभी रिसॉर्ट्स की कूड़ा निस्तारण व्यवस्था एवं फीकल स्लज प्रबंधन की निगरानी किये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>➤ जहां भी FSTP स्थापित हैं, उनके क्रियाशील होने कीई आवश्यकता है अन्यथा मल- मूत्र का प्रवाह नदी में होने से रोका नहीं जा सकता।</p>




जिनाधिकारी
गढ़वाल

24396



“Avenue – 18” Resort



[Signature]
 जिलाधिकारी
 गढ़वाल


NOTARY
 N.S. NEGI
 NOTARY PUBLIC
 P.N. Ghatwal
 Reg. No. 11091/2012
 GOVT. OF INDIA

FSTP स्थापित पर क्रियाशील नहीं



कम्पोस्ट प्लांट स्थापित

- बिजनी चट्टी में लगभग 70 परिवार निवास करते हैं तथा यह नदी से काफी ऊपर स्थित है।
- नैल में नदी के तट पर 05 रिसोर्ट / कैम्प निर्मित है।
- वर्तमान में नदी साफ़ पायी गयी, कूड़ा और स्लज का प्रवाह नदी में होते हुए नहीं पाया गया।
- रिसॉर्ट्स के प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र के सभी रिसॉर्ट्स द्वारा कूड़े हेतु स्वयं के स्तर से कूड़ा वाहन लगाया गया है जो नगर निगम ऋषिकेश के प्लांट में कूड़ा निस्तारण हेतु ले जाता है।



बिजनी चट्टी

नैल



निष्कर्ष एवं सुझाव

गंगा नदी की सहायक नदियों को स्वच्छ एवं निर्मल रखने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तावित हैं :-

- ▶ **FSTP / STP का निर्माण**
- ▶ **कूड़ा एकत्रीकरण व पृथकीकरण केंद्र का निर्माण एवं कॉम्पैक्टर की स्थापना**
- ▶ **घरों में गद्दा युक्त शौचालय निर्मित होने की जांच एवं पेनाल्टी का प्राविधान**

गधेरों पर जाल एवं प्रोटेक्शन दीवार का निर्माण

गधेरों को नदी में मिलने से पूर्व टैप किया जाना




बिलाधिकारी
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 21/11/2013 at 11.30 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

धन्यवाद



Sworn & Verified the Deponent Before
me on 12/11/2023 11:55 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public


जिलाधिकारी
गढ़वाल

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
बद्रीनाथ रोड, श्रीनगर गढ़वाल



Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Srinagar-Garhwal-246174

Tel 01346 297113 Email : <pmgangasrinagar@gmail.com>

पत्रांक	1033	एनओपीआर	1033	दिनांक	25/09/23	प्रेषण का माध्यम	ई-मेल	डाक द्वारा
---------	------	---------	------	--------	----------	------------------	-------	------------

सेवा में,

उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी
सदस्य व संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
पौड़ी।

विषय:-

Regarding Compliance of Direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A. No 200 of 2014 -M.C. Mehta's matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,


उपरोक्त विषयक कार्यालय उप वन संरक्षक, पौड़ी वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा के पत्रांक 1112/16-1 दिनांक 21.09.2023 जैकि अन्वेषण के साथ इस कार्यालय को सम्बोधित है, के अनुपालन में इस इकाई से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत् है :-

Cities/Panchayat	Issues	Compliance
Srinagar	Untapped Sewage	<ol style="list-style-type: none"> इस इकाई द्वारा नमागि गये कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रीकोट में 02 नग नालों को टेप कर इनके श्राव को क्रमशः 50 कॅ०एल०डी० एवं 75 कॅ०एल०डी० एस०टी०पी० के माध्यम से शोधन किया जा रहा है। इस इकाई द्वारा नमागि गये कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित 17 नालों को टेप कर समस्त नालों के श्राव को 1.0 एम०एल०डी० एवं 3.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के माध्यम से शोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त श्रीनगर नगर निगम को सीवरेज सुविधा से आच्छादित करने हेतु मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या - 59/2023 के अनुपालन में वृहद डी०पी०आर० विरचन का कार्य गतिमान है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।


संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(रविन्द्र सिन्हा)
परियोजना प्रबन्धक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


परियोजना प्रबन्धक
etc




जिलाधिकारी
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent Before me on 25/09/23 11:30 A.M. P.M.
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Pul

E-mail Id: nagamigamarinagargarhwal@gmail.com
Contact No.: 01346-253047



|| कार्यालय नगर निगम, श्रीनगर गढ़वाल ||

पत्रांक २५९ /०९-सफा०नि०(OANo.340/2022 सू०)/2023-24
सेवा में,

दिनांक: २९ सितम्बर, 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी।

विषय:- दिनांक 25.09.2023 को Original Application No. 340/2022 M.C. Mehta Vs Union of India & Ors.में आहूत बैठक के सम्यन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं०-1731/21-प्रशा०अधि०, स्था०नि०-निविदा /2023-24 दिनांक 24 सितम्बर, 2023 बावत् दिनांक 25.09.2023 को Original Application No. 340/2022 M.C. Mehta Vs Union of India & Ors.की आहूत बैठक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उपरोक्त वाद Original Application No. 340/2022 M.C. Mehta Vs Union of India & Ors.में नगर निगम स्तर पर निम्न बिन्दु संज्ञान में लाने हैं :-

नगर निगम का नाम	बिन्दु	कार्यवाही
नगर निगम, श्रीनगर गढ़वाल	यह कि वाद नगर में बहने वाली अलकनन्दा नदी की सुरक्षा, नगर निगम स्तर पर गंगा नदी को स्वच्छ रखे जाने से सम्बन्धित की गई कार्यवाही से है।	
	(अ)लिंगेसी वेस्ट:-	यह कि नगर में अलकनन्दा नदी तट पर पुराने डंपिंग यार्ड को जिसमें लगभग 18 हजार मैट्रिक टन लिंगेसी वेस्ट था, को, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अंतर्गत आवंटन/ प्राप्त भूमि- कोटि लगा गिरगांव में शिफ्ट कर दिया गया है। जो की नदी 2की०मी० से अधिक दूरी पर स्थित है। उक्त लिंगेसी वेस्ट की प्रोसेसिंग हेतु ₹98.40 की डी०पी०आर० पत्राक सं०- 220 दिनांक 02.06.2023 के द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।
	(ब)सोलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट:-	i-सोलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट की डी०पी०आर० लागत ₹7.0896 करोड़ की शासन द्वारा स्वीकृत है। सोलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट की डी०पी०आर० लागत ₹7.0896 करोड़ के सापेक्ष शासन द्वारा ₹5.84 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। सोलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट की डी०पी०आर० के अंतर्गत:- (a)- वांछित R.F.P. (Request For Proposal) शासन को पत्राक सं०-219 दिनांक- 02.06.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। (b)-शासन के पत्र सं०-2521/31/Solid waste/SBM/2016-17 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के द्वारा R.F.P. के सापेक्ष फिजियिल्टी रिपोर्ट मांगी गई है। उक्त के सम्यन्ध में फिजियिल्टी रिपोर्ट पत्राक सं०-757 दिनांक-29.09.2023 द्वारा शासन को प्रेषित कर दी गई है। (c)- सोलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट के अंतर्गत वांछित E.I.A.(Environment Impact Assessment) पत्राक सं०.-259-07(17)/2019 दिनांक 31.07.2023 व In Principle Approval पत्राक सं०- MSW/IPA/UK/28 दिनांक-18.07.2022 के द्वारा प्राप्त है एवं C.T.E. (Concern to Establishment) हेतु पत्राक सं०- 190(1) दिनांक 22.06.2023 के द्वारा आवेदन किया गया है।

Register your complaints related to solid waste in the Email ID: noida@solid-waste-complaints@gov.in




जिताधिकारी
गढ़वाल

24403

Pauri Garhwal Nagar Garhwal@gmail.com
Contact No.: 01346-293047

128

|| कार्यालय नगर निगम, श्रीनगर गढ़वाल ||

पत्रांक 220 / 02-ग0आ0(लीगेसी वेस्ट-डी0पी0आर0)/2023-24

दिनांक 2 जून, 2023

सेवा में,

निदेशक,
शाहरी विकास निदेशालय,
31/62 राजपुर रोड,
देहरादून।द्वारा- जिलाधिकारी गढ़वाल/
प्रशासक महोदय, नगर निगम श्रीनगर।विषय:- नगर निगम, श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत लीगेसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निरस्तारण के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं0-850/02-ग0आ0 (लीगेसी वेस्ट-डी0पी0आर0)/2022-23 दिनांक 27 फरवरी, 2023 एवं पत्र सं0-403/डी0पी0आर0-ली0पे0/2022-23 दिनांक 08 सितम्बर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा नगर निगम, श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत लीगेसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निरस्तारण हेतु डी0पी0आर0, अनुमानित लागत कुल ₹0 98.40 लाख की टी0ए0सी0 करा कर आपको प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति आतिथि तक प्राप्त न होने के कारण लीगेसी वेस्ट का निरस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिससे मा0 उच्च न्यायालय एवं एन0जी0टी0 द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुपालन में समस्या उत्पन्न हो रही है।

अतः महोदय से पुनः अनुरोध है कि शीघ्र ही लीगेसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निरस्तारण हेतु अनुमानित लागत कुल ₹0 98.40 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत करने की कृपा कीजिएगा।

प्रलान:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

नगर आयुक्त/प्रमजिलाधिकारी,
नगर निगम, श्रीनगर,
गढ़वाल।

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 17/06/23 at 11:30 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

जिलाधिकारी
गढ़वाल

24404

E-mail id: nagarnigamsrinagarharwal@gmail.com
Contact No.: 01345-253047

129



॥ कार्यालय, नगर निगम, श्रीनगर गढ़वाल ॥

पत्रांक 219 / 09-सफा0नि0 (RFP सत्या0) / 23-24

दिनांक 02 जून, 2023

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
31/62 राजपुर रोड,
देहरादून।

द्वारा- जिलाधिकारी गढ़वाल/
प्रशासक महोदय, नगर निगम श्रीनगर।

विषय- नगर निगम, श्रीनगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छ नास्त निस्तन योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निस्तारण स्थल बनाए जाने हेतु निविदा (RFP) को सत्यापित कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं-774/09-सफा0नि0 (RFP सत्या0) / 22-23 दिनांक 13 फरवरी, 2023 एवं पत्र सं-711/09-सफा0नि0 (RFP सत्या0) / 21-22 दिनांक 04 फरवरी, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

सादर अवगत कराना है कि नगर निगम, श्रीनगर के सीमांतर्गत स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चयनित स्थल की पर्यावरण स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुलन निर्धारण प्रधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त हो चुकी है एवं उपरोक्त कार्य हेतु ₹708.96 लाख की धनराशि की नगर निगम, श्रीनगर की डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है। उक्त क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निस्तारण स्थल बनाए जाने हेतु तैयार किए गए निविदा प्रारूप प्रपत्र (RFP and Bidder Agreement) का परीक्षण करते हुए सत्यापित करने हेतु अनुरोध इस निगम द्वारा पूर्व में किया गया था, जो कि आतिथि तक निदेशालय स्तर से परीक्षण/सत्यापन उपरान्त इस निगम को उपलब्ध न हो पाने के कारण सम्बन्धित कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है।

अतः महोदय से पुनः अनुरोध है कि उक्त उपरोक्तानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निस्तारण स्थल बनाए जाने हेतु पूर्व में प्रेषित निविदा प्रारूप पत्र (RFP and Bidder Agreement) का परीक्षण करते हुए स्वीकृति प्रदान करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

नगर आयुक्त/जिलाधिकारी
नगर निगम श्रीनगर
गढ़वाल।

o/c

जिलाधिकारी
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 02/06/2023 at 11:30 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public



24405

E-mail Id: nagarnigam@nagarGarhwal@gmail.com
Contact No: 01246-262047

130



॥ कार्यालय नगर निगम, श्रीनगर गढ़वाल ॥

पत्रांक ~~457~~ /08-स्वा0नि0(फिजी0रिपोर्ट)/2023-24

दिनांक 29 सितम्बर, 2023

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
31/82, राजपुर रोड,
देहरादून।

विषय:- Request for development of Municipal solid waste management facility under SWM on Design, Built, Operate, Manage & Transfer (DBOMT) mode at Srinagar (Pauri Garhwal) Uttarakhand हेतु तैयार फिजीबिल्टी रिपोर्ट (Feasibility Report) उपलब्ध करायें जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0-2621/31/Solid waste/SBM/2018-17 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के अनुपालन में पी0पी0पी0 सैल, नियोजन विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में फिजीबिल्टी रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार कर संलग्न आपकी सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- डी0पी0आर0 एवं फिजीबिल्टी रिपोर्ट।

भवदीय,


नगर आयुक्त,
नगर निगम,
श्रीनगर गढ़वाल।

पत्रांक एवं दिनांक सदैव।

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, गढ़वाल/प्रशासक महोदय, नगर निगम, श्रीनगर गढ़वाल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
श्रीनगर गढ़वाल।

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 17/11/2023 at 12:00 A.M. P.W. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public


जिलाधिकारी
गढ़वाल

E-mail Id: nagarnigamsrinagargarhwal@gmail.com
Contact No.: 01348-

NAGAR NIGAM, SRINAGAR GARHWAL

Letter No. 901/09-S.I.(W.O.C.T.E.)/2022-23

Date 22 June, 2022

To,
M/s Grow Green PMC Services
Dehradun,
Uttarakhand
GSTN : GSTN : 05AGFPS9080B1ZE

Sub: - Work order for Consultancy for Obtaining Consent to Establishment for MSW fact at Srinagar from State Pollution Control Board

Dear Sir,

With reference to the above mentioned subject for Obtaining Consent to Establishment for Municipal Solid Waste Management Facility at Srinagar.


We are pleased to issue this work order for the same on your lowest quoted prices and on the mutually agreed Terms & Conditions.

1. **Brief Scope of Work** : Obtaining Consent to Establishment for Municipal Solid Waste Management Facility at Srinagar from State Pollution Control Board.
2. **Contract Value** : The value of works under this work order is Rs 2,36,000.00 including GST (Rupees Two Lacs Thirty Six Thousand Only)
3. **Payment Terms** : Rs. 2,36,000/- amount will be paid within 7 days after submission of CTE copy to Nagar Nigam.
4. **Completion Period** : Application Form should be submitted to PCB within 10 days. Obtain any information required within 3 days.
5. **Statutory Fee** :
Statutory Fee will be borne by Nagar Nigam Srinagar.

Thanking you,




जिलाधिकारी
शुबान

Yours faithfully,

Municipal Commissioner
Nagar Nigam Srinagar
(Pauri Garhwal)

Sworn & Verified the Deponent Before me on 22/06/2022 11.30 A.M./P.M. at Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

Email: puurtouristoffice@gmail.com

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में

उप-जनसंरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, पौड़ी।

पत्रांक- 749/पौड़ी/2023

दिनांक- 5/10/23

विषय:- Regarding compliance of directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A. No.200 of 2014- M.C. Mehta's matter related to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक सं- 1240/16-1, दिनांक- 29.09.2023 का सूचन ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश आदेश दिनांक-05.09.2023 द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति से original application में जनपद से सम्बन्धित दायरे गये शिष्टुओं पर Status Report वांछित है एवं वांछित रिपोर्ट प्रस्तुत तैयार कर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में जिला पर्यटन विकास कार्यालय, पौड़ी से सलग्न सूची अनुसार अलकनन्दा बेसिन में "High Tourist Influx at all Prayags and Badrinath Temple, Leading to Pollution" से सम्बन्धित तथा गंगा बेसिन "Kaudiyala - Rishikesh : lots of hotels, Tourists and Related footprints, eg solid waste and sewage" से सम्बन्धित सूचना ब्राह्मि गयी है। अलकनन्दा बेसिन में "High Tourist Influx at all Prayags and Badrinath Temple, Leading to Pollution" के सम्बन्ध में जकात बताया है कि इनमें से केवल देवप्रयाग का राष्ट्रीय राजमार्ग बदीनाथ के गया/अलकनन्दा नदी के पार वाला क्षेत्र जनपद पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है तथा इस स्थल के आस-पास पर्यटन होटल/रिजॉर्ट अवस्थित नहीं है। इसी प्रकार "Kaudiyala - Rishikesh : lots of hotels, Tourists and Related footprints, eg solid waste and sewage" का क्षेत्र गंगा नदी बेसिन के विचार राष्ट्रीय राजमार्ग बदीनाथ पर जनपद-टिहरी गढ़वाल क्षेत्रन्तर्गत आता है, जिस कारण उक्त विषयक सूचना जिला पर्यटन कार्यालय, पौड़ी के पास उपलब्ध नहीं है।

आप सूचना सादर प्रेषित।



Sworn & Verified the Dependent Beh.
me on 05/10/23 at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

सचिव
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
पौड़ी।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

24408

(ANNEXURE - 8)

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
धुमाकोट।

सेवा में,

उप वनसंरक्षक, गढवाल वन प्रभाग
पौड़ी सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति
पौड़ी गढवाल।

संख्या:- 24 / अहलमद / विविध - (2023-24) दिनांक धुमाकोट 30 सितम्बर 2023

विषय:- Regarding compliance of directions passed by the Honble National Green Tribunal Principal Bench, New delhi in PIL(O.A No-200 of 2014-M.C Mehta's matter related to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या:- 1253/16-1 दिनांक पौड़ी सितम्बर 29, 2023 एवं सन्दर्भित पत्र संख्या-1112/15-1 दिनांक 21 सितम्बर 2023 के अनुक्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु तहसील धुमाकोट में नायब तहसीलदार धुमाकोट को निर्देशित किया गया। नायब तहसीलदार धुमाकोट द्वारा अपनी अनुपालन रिपोर्ट से अवगत कराया है कि तहसील क्षेत्रान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 अनुपालन हेतु तहसील क्षेत्रान्तर्गत राजस्व निरीक्षक / राजस्व उपनिरीक्षको को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। तहसील क्षेत्रान्तर्गत मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 की अनुपालन आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।





जिलाधिकारी
गढवाल

भवदीय,


कृते उपजिलाधिकारी
धुमाकोट।

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 29/09/2023 at 11:30 A.M. P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)


Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

प्रेषक,

तहसीलदार,
थलीसैण।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

द्वारा—

उपजिलाधिकारी थलीसैण।

संख्या—

182/आर0सी0/2023-24 थलीसैण दिनांक 30, सितम्बर, 2023।

विषय—

Regarding compliance of directions passed by the Hon' ble National Green Tribunal, Principal Bench, NEW delhi in PIL (O. A NO. 200 OF 2014—M.C. Mehta's—matter related to Ganga pollution and its cleaning etc

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या-1253/16-1 दिनांक पौड़ी सितम्बर 29, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.09.2023 से प्रत्येक जिला गंगा समीति से Original Application में जनपद से सम्बन्धित उठाये गये बिन्दुओं पर Status report वांछित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिये गये निर्देशों का समयवद्ध अनुपालन एवं वांछित रिपोर्ट प्रस्तरवार तैयार कर दिनांक 28.09.2023 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है, कि तहसील थलीसैण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रौली में दिनांक 20.07.2023 की रात्रि को भारी वर्षा के कारण गाँव के दोनो तरफ स्थित गधेरो/नालों में भारी मात्रा में भू-स्खलन हुआ है। ग्राम रौली के आबादी क्षेत्र में स्थित आवासीय भवन प्रभावित न होने के कारण गाँव को खाली कराने की आवश्यकता नहीं हुयी। ग्राम रौली के अतिरिक्त तहसील थलीसैण के अन्य कोई ग्राम भू-स्खलन से प्रभावित नहीं है।

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित।



जिलाधिकारी महोदय,
गढ़वाल

महोदय तहसीलदार थलीसैण की आख्या
सादर सेवा में प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
थलीसैण।

भवदीय,

तहसीलदार,
थलीसैण।

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 17/11/2023 at 4:30 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

जिलाधिकारी
गढ़वाल

निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक 12.05.2023 को जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा जी0वी0के0 अलकनन्दा पॉवर हाइड्रो कम्पनी लि0 द्वारा संचालित श्रीनगर जल विद्युत परियोजना द्वारा डाऊनस्ट्रीम में छोड़े जाने वाले ई-फ्लो के सत्यापन हेतु गेज स्थापन हेतु स्थल चयन के सम्बन्ध में रिपोर्ट।

निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

- 1 श्री सन्तोष रेड्डी, निदेशक, जी0वी0के0
- 2 श्री एस0 सी0 शर्मा, हेड ओ0 एण्ड एम0, जी0वी0के0
- 3 श्री श्रीनिवास रेड्डी, जी0एम0, जी0वी0के0
- 4 श्री शेख शाहिद, ए0जी0एम0, जी0वी0के0
- 5 श्री मधुसूदन बलोनी, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
- 6 श्री सुभाष प्रसाद, अपर सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

निरीक्षण के दौरान जी0वी0के0 अलकनन्दा पॉवर हाइड्रो कम्पनी लि0 द्वारा संचालित श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के बांध क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनिवार्य रूप से नदी में छोड़े जाने वाले डिस्चार्ज का निरीक्षण किया गया, जिस हेतु अलकनन्दा पॉवर हाइड्रो कम्पनी लि0 द्वारा SCADA System स्थापित किया गया है, जिसमें तत्समय बांध का गेट नं0-2, 80mm खुला हुआ था, एच डिस्चार्ज की मात्रा 12.85 क्यूमैक्स दर्शित हो रहा था, जो कि मानक 12.50 क्यूमैक्स से अधिक था।

बांध के डाऊनस्ट्रीम में ई-फ्लो डिस्चार्ज को चेक करने हेतु दो स्थलों का निरीक्षण किया गया।

- 1) सुपाणा ब्रिज, जो कि लगभग 800 मीटर बांध के डाऊनस्ट्रीम में है।
- 2) चौरास ब्रिज, जो कि लगभग 3.50 कि0मी0 बांध के डाऊनस्ट्रीम में है। यहां पर पूर्व से ही केन्द्रीय जल आयोग का गेज स्टेशन स्थापित है।

अतः उपरोक्त दोनों स्थलों में सुपाणा पुल में गेज स्थापन हेतु ज्यादा उपयुक्त है। साथ ही सुझाव यह भी है कि इतने कम फ्लो को नापने हेतु विभाग द्वारा SCADA System स्थापित किया जाए, जिसका Control/Display विभाग के नियंत्रण में रहे, जिससे छोड़े गये पानी की सही मापन हो सके।



(आर0के0 गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी

पत्रांक-1228/सि0क0म0न0टि0 / श्रीनगर ज0वि0परि0 / निरीक्षण टिप्पणी / दिनांक: 16/05/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, मा0 विधायक देवप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को दिनांक 11.05.2023 को हुई बैठक के क्रम में।
- 3 मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 4 प्रबन्ध निदेशक, जी0वी0के0, अलकनन्दा पॉवर हाइड्रो कम्पनी लि0, श्रीनगर गढ़वाल।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेंद्रनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों की अनुपालना कराना सुनिश्चित करें।

(आर0के0 गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी

Sworn & Verified the Deponent Before me on 17/11/2023 at 4:45 A.M. Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

जिलाधिकारी
गढ़वाल



No. 0230/AHPCL/Dir Off/Forest Department/G-54/2023

Date: 30/09/2023

To,

The Divisional Forest Officer,
Garhwal Forest Division,
Pauri, Uttarakhand

Sub: Regarding compliance of directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (Q.A No. 200 of 2014) – M.C. Mehta's matter related to Ganga Pollution and its cleaning etc.

Ref: Your letter Nos. 1253/16-1 dated Pauri, September 29, 2023 and 1112/16-1 dated Pauri, September 21, 2023

WITHOUT PREJUDICE

Dear Sir,

This is to bring to your kind notice that we have received your above referred letters dated 29.09.2023 on 29.09.2023 and 21.09.2023 on 26.09.2023 and in pursuance to the same, we submit the following for your kind consideration:

1. That the 330 MW Shrinagar Hydro Electric Project ("the Project") was constructed and is now being operated by Alaknanda Hydro Power Company Limited ("AHPCL").
2. Subsequently, in compliance with the orders dated 15.09.2015 passed by the Ld. Sub-Divisional Magistrate, Pauri, in terms of orders 09.08.2017 in O.A No. 498 of 2015 titled *Pushp Saini v. MoEFCC* passed by the Hon'ble NGT, New Delhi and in terms of the orders 11.06.2018 passed by Hon'ble High Court of Uttarakhand in WP (PIL) No. 116 of 2015, AHPCL is releasing 15% (E-flows) of water towards the downstream of the Project and is scrupulously observing the directions of the above referred authorities.
3. It is also not out of the place to submit to your authorities that AHPCL is submitting the river discharge data/E-flows of the river at its Project site, with the concerned departments (CWC) on a daily basis.



Registered Office & Address for Correspondence:

ALAKNANDA HYDRO POWER COMPANY LIMITED
Paigan House, 156-159, Sardar Patel Road
Secunderabad - 500003, Andhra Pradesh, India

T+ 91 40 2790 2663/64 F+ 91 40 2790 2665
www.gvk.com

Project Site Office:

Koleshwar Colony, Srinagar, Dist. Pauri Garhwal,
Uttarakhand - 246174

T+ 91 1348 244339 / 244340 F+ 91 1348 244336

ENERGY
AIRPORTS
TRANSPORTATION
REALTY
HOSPITALTY
LIFE SCIENCES

जिलाधिकारी
पड़वाल



4. The 15% (E-flows) of average discharge in Lean Season being maintained by AHPCL during the lean season in the downstream of the SHEP were verified by the Superintending Engineer, Irrigation Division, New Tehri. It can be appreciated that the Superintending Engineer has duly appreciated in his report dated 12.05.2023, that the E-flows being maintained by the SHEP/AHPCL in the lean season are as per the norms. A copy of the report dated 12.05.2023 is attached herewith for your kind appreciation.

This is submitted for your kind appraisal, please.

Encls: As above

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alaknanda Hydro Power Co. Ltd.

Authorized Signatory
Copy to: District Magistrate, Garhwal



Sworn & Verified the Deponent Before
me on 12/11/2023 at 11:30 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

Registered Office & Address for Correspondence:

ALAKNANDA HYDRO POWER COMPANY LIMITED
Paigah House, 156-159, Sardar Patel Road
Secunderabad - 500003, Andhra Pradesh, India

T+ 91 40 2790 2663/64 F+ 91 40 2790 2665
www.gvk.com

Project Site Office:

Kaleshwar Colony, Srinagar, Dist. Pauri Garhwal,
Uttarakhand - 246174

T+ 91 1346 244339 / 244340 F+ 91 1346 244336

ENERGY
AIRPORTS
TRANSPORTATION
REALTY
HOSPITALTY
LIFE SCIENCES

जिलाधिकारी
गढ़वाल

संस्था: सहायक भू-वैज्ञानिक
भूतत्व एवं खनिज विभाग
पौड़ी गढ़वाल।
शेखर: प्रभासीय जिलाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी
(सदरमंच सचिवालय) पौड़ी गढ़वाल।

संख्या-415 / खनन / SPMG-सूचना / पी0ग0 / 2023-24

दिनांक 25 सितम्बर, 2023

विषय: Regarding compliance of directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O A No. 200 of 2014- M.C Mehta's matter related to Ganga Pollution and its clearing etc.

संदर्भ: कृपया उपरोक्त विभाग अपने कार्यालय पत्र संख्या-1112/16-1, दिनांक पौड़ी, सितम्बर 21, 2023 का सम्बन्ध प्रेषण करने का कष्ट करें, जिसका माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के अनुपालन में विभाग से सम्बन्धित बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है। तदनुसार वांछित बिन्दु की आख्या निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. Sand mining at riverbed is also very rampant and unregulated (impacting river ecology, ground water in long run and availability of resource for inter-generational usage)
उक्त के सम्बन्ध में आदेश अवगत करना है कि जनपद के तहसील श्रीनगर अन्तर्गत प्रवाहित अलकनन्दा नदी के जनपद क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2004 यथासंशोधित 2017 द्वारा ई-निविदा सह ई-नोलामी के माध्यम से केवल मानव शक्ति द्वारा उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्टर) चुगान लोंटों को उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत किया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं0	परदाधारक के स्वीकृत चुगान लोंटों का विवरण	स्वीकृति की अवधि	मात्रा (टन में)	पर्यावरणीय स्वीकृति	अभियुक्ति
1	श्री राजेन्द्र सिंह विष्णु पुत्र श्री उदय सिंह विष्णु निवासी- श्रीकांठ तहसील श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।	23.12.2021 से 22.12.2022 तक	72,235	प्राप्त है।	संचालित (वर्षाकाल अवधि को छोड़कर)
2	श्री राजेन्द्र सिंह विष्णु पुत्र श्री उदय सिंह विष्णु निवासी- श्रीकांठ तहसील श्रीनगर।	23.10.2022 से 15.05.2023 तक	46,200	प्राप्त है।	संचालित (वर्षाकाल अवधि को छोड़कर)
3	श्री राजेन्द्र सिंह विष्णु पुत्र श्री उदय सिंह विष्णु निवासी- वाम कुल्हे गा0 तहसील श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।	23.12.2022 से 19.12.2023 तक	23,100	प्राप्त है।	संचालित (वर्षाकाल अवधि को छोड़कर)

स्वीकृत उपखनिज चुगान लोंटों में उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) का चुगान, परदाधारकों के पक्ष में निर्मित पर्यावरणीय स्वीकृति द्वारा निर्धारित मात्रा व अनुमत गहराई तक (केवल मानव शक्ति द्वारा ही) अनुमोदित खनन योजना के अनुपालन में किया जाता है। जनपद के स्वीकृत सम्बन्धित चुगान लोंटों में अनियंत्रित चुगान नहीं है, River Bed Protection Act, 1985 के अन्तर्गत चुगान लोंटों में उपखनिज के निर्मित अलकनन्दा ड्राइड प्रोजेक्ट के कारण अधिक प्रभावित है।



Sworn & Verified the Deponent before me on 17/11/2023 at 4:20 A.M. P.M. at Pauri Garhwal (U.K.)
Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

भवदीय
(13/11/23)
सहायक भू-वैज्ञानिक
भूतत्व एवं खनिज विभाग
पौड़ी गढ़वाल।

संख्या- / खनन / SPMG-सूचना / पी0ग0 / 2023-24, तददिनांकित।
प्रतिकृति- निम्नलिखित को सूचय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

विषयक,

मुख्य कृषि अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।


पत्रांक-2222/कृ0भू0स0अ0पौ0/प्रा0अनु0/2023-24/दिनांक-16/10/2023

विषय- Regarding compliance of direction passed by the Honable National Green Tribunal, Principa Bench new delhi in (O.A NO,200 of 2014 – M-C Mehta's matter related to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1253/दिनांक-29.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचना इस स्तर से चाही गई थी, के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2191, दिनांक 09.10.2023 के द्वारा उक्त सूचना प्राप्ति हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना चाहने हेतु पत्र निर्गत किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि तत्समय आपके अधिष्ठान को भी की गई थी। उक्तानुसार वांछित सूचना निम्न प्रकार संलग्न कर प्रस्तुत है।

City/panchayat	Issues	कार्यवाही / अनुपालन
Alaknanda Basin		
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी पजीकृत संख्या 1812 फाईल संख्या 16-1 किसको भेजा गया नमामि गंगे दिनांक 7/10/2023	7. Agricultural run-off and contamination of River and streams with pesticides and other chemicals (कृषि अपवाह और कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों से नदी एवं नालों का संदूषण)	1. जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर से देवप्रयाग तक अलकनन्दा बेसिन का क्षेत्र है, जिसके नदी तटों पर परम्परागत रूप से जैविक खेती ही की जाती है। अलकनन्दा बेसिन का क्षेत्र तीन विकासखण्डों खिर्सू, पौड़ी, कोट के अन्तर्गत आता है। उक्त तीन विकासखण्डों के अन्तर्गत कृषि विभाग की तीन जैविक योजनाएँ-नमामि गंगे, परम्परागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैविक का कार्यक्रम गतिमान हैं। 2. श्रीनगर से देवप्रयाग तक नमामि गंगे योजना का क्षेत्रफल 2176.97 है० है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्रफल 682.00 है० है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र 1111.782 है० है। उपरोक्त योजनाओं का कुल क्षेत्रफल 3970.752 है० है, जिसमें जैविक कृषि की जा रही है एवं जो अलकनन्दा बेसिन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। 3. उपरोक्त क्षेत्रफल में जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक का प्रयोग अधिकाधिक रूप से कृषकों द्वारा किए जाने हेतु विभागीय स्तर से कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 4. उपरोक्त क्षेत्रफल में रसायनिक उर्वरक एवं पौध रक्षा रसायन/ कीट नाशक रसायनों का प्रयोग वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार किया जाता है। सीमित रूप से प्रयोग किए जाने पर कृषि अपवाह और कीट नाशक तथा अन्य रसायनों के प्रभाव से अलकनन्दा नदी एवं अलकनन्दा नदी से मिलने वाले सौली/नालों के पानी को दूषित होने से रोकने में अत्यधिक सहायता मिल रही है। 5. एंडोसल्फान 2011 से प्रतिबंधित है, डिल्लिन 2003 से प्रतिबंधित है एवं डीडीटी 1985 से प्रतिबंधित है। इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
श्रीनगर		




 जिलाधिकारी
 गढ़वाल

City/ panchayat	Issues	कार्यवाही / अनुपालन
Ganga Basin		
1-Devprayag 2- kaudiyala 3- Singtali 4-Byasi 5-Shivpuri 6-Rishikesh	<p>Agricultural run off : Agricultural practices on the river bank may have considerable impacton contribution of pesticide residues such as total Endosulfan, Dieldrin and DDT.</p> <p>कृषि अपवाह: नदी तट पर कृषि पद्धतियों में कुल एंडोसल्फान, डिल्ड्रिन और डीडीटी जैसे कीटनाशक अवशेषों के योगदान पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।</p>	<p>1. जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देवप्रयाग से ऋषिकेश तक गंगा बेसिन का क्षेत्र है, जिसके नदी तटों पर परम्परागत रूप से जैविक खेती ही की जाती है। गंगा बेसिन का क्षेत्र का क्षेत्र तीन विकासखण्डों-कोट, द्वारिखाल, यमकेश्वर के अन्तर्गत आता है। उक्त तीन विकासखण्डों के अन्तर्गत कृषि विभाग की तीन जैविक योजनायें-नमामि गंगे, परम्परागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैविक का कार्यक्रम गतिमान हैं।</p> <p>2. देवप्रयाग से ऋषिकेश तक नमामि गंगे योजना का क्षेत्रफल 2483.28 है० है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्रफल 600.00 है० है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र 980.75 है० है। उपरोक्त योजनाओं का कुल क्षेत्रफल 4064.03 है० है, जिसमें जैविक कृषि की जा रही है एवं जो गंगा बेसिन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।</p> <p>3. उपरोक्त क्षेत्रफल में जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक का प्रयोग अधिकाधिक रूप से कृषकों द्वारा किए जा रहे हेतु विभागीय स्तर से कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।</p> <p>4. उपरोक्त क्षेत्रफल में रसायनिक उर्वरक एवं पौध रक्षा रसायन/कीट नाशक रसायनों का प्रयोग वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार किया जाता है। सीमित रूप से प्रयोग किए जाने पर कृषि अपवाह और कीट नाशक तथा अन्य रसायनों के प्रभाव से अलकनन्दा नदी एवं अलकनन्दा नदी से मिलने वाले रौली/नालों के पानी को दूषित होने से रोकने में अत्यधिक सहायता मिल रही है।</p> <p>5. एंडोसल्फान 2011 से प्रतिबंधित है, डिल्ड्रिन 2003 से प्रतिबंधित है एवं डीडीटी 1985 से प्रतिबंधित है। इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।</p>

भवदीय,

मुख्य कृषि अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक- / कृ०भू०स०अ०पौ० / प्रा०अनु० / 2023-24 / दिनांक-

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, गढ़वाल महोदय की सेवामें सादर सूचना एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।




जिलाधिकारी
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 17/11/2023 at 11:40 A.M. P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

24416

(ANNEXURE -12)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
बद्रीनाथ रोड, श्रीनगर गढ़वाल



Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Pejal Nigam
Srinagar-Garhwal-246174

Tel 01346 207113 Email <pmg@gangapejal.com>

पत्रांक 699/NGRBA/10 दिनांक 04/10/23 प्रेषण का माध्यम ई-मेल डाक द्वारा

सेवा में
प्रभागीय तनाधिकारी,
सदरस सचिव,
जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

विषय:- Regarding Compliance of Direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A. No 200 of 2014 -M.C. Mehta's matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 669/3-2 नई टिहरी दिनांक 04.10.2023 के अनुपालन में इस इकाई से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत् है :-

Cities/Panchayat	Issues	Compliance
Kirtinagar	Untapped Sewage	<ol style="list-style-type: none"> इस इकाई द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कीर्तिनगर में 02 नग नालों को टेप कर इनके श्राव को दो नग एस0टी0पी0 क्रमशः 50 केल0डी0 एवं 10 केल0डी0 के माध्यम से शोधन किया जा रहा है। उक्त योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग के पत्रांक 312/योजना हस्तान्तरण/2021-22 दिनांक 08.06.2021 द्वारा हस्तगत कर, योजना का संचालन एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग द्वारा किया जा रहा है।
Devprayag	Untapped Sewage	<ol style="list-style-type: none"> इस इकाई द्वारा एन0जी0आर0वी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के अन्तर्गत देवप्रयाग में 03 नग नालों के श्राव को टेप एवं सीवर नेटवर्क 6.30 किमी के माध्यम से इनके श्राव को तीन नग एस0टी0पी0 क्रमशः 1.40 एम0एल0डी0, 150 केल0डी0 एवं 75 केल0डी0 के माध्यम से शोधन किया जा रहा है। बाह बाजार, देवप्रयाग में विछायी गयी सीवर लाईन एव 1.40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बाह बाजार, देवप्रयाग का संचालन एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार



पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति टिहरी गढ़वाल।
- महाप्रबन्धक निर्माण भण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।

भवदीय,

(सविन्द सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

०/८

परियोजना प्रबन्धक

परियोजना प्रबन्धक

Sworn & Verified the Deponent Before me on 04/10/2023 at 11:40 A.M. at Pauri Garhwal (U.K.)

Chiti 2022-23 works
Narandra Singh Negi
Advocate & Notary Public

जिलाधिकारी
गढ़वाल

24417

(ANNEXURE-13)

॥ कार्यालय उपजिलाधिकारी यमकेश्वर/जाखणीखाल गढ़वाल ॥

संख्या-369/पी0ए0/एन0जी0टी0-2023 यमकेश्वर दिनांक: 02 अक्टूबर 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।


विषय:- Regarding Compliance of directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A No.200 of 2014-M.C. Mehta's matter related to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1253/16-1 दिनांक: पौड़ी, सितम्बर 29 2023, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (N.G.T) द्वारा पारित आदेश दिनांक-05.09.2023 द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति से Original Application में जनपद से सम्बन्धित उठाये गये बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।

उक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जौंक एवं तहसीलदार जाखणीखाल से निर्धारित प्रारूप पर आख्या प्राप्त की गयी, जो कि निम्नवत् है:-


Cities/Panchayat	Issues	कार्यवाही/अनुपालन
GANGA BASIN		
1-नगर पंचायत स्वर्गाश्रम-जौंक	Tributaries-industrial and municipal/legacy waste.	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक का कूड़ा निस्तारण स्थल गंगा नदी से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है।
2- तहसील जाखणीखाल।		तहसील जाखणीखाल क्षेत्रान्तर्गत राजस्व ग्राम माला की सरहद अन्तर्गत वी0एन0ए0 रिजॉर्ट, बधेरा रिजॉर्ट, औसो रिजॉर्ट, वैनों रिजॉर्ट, एवं राजस्व ग्राम झैड़, की सरहद अन्तर्गत अल्पाइन नेचर रिजॉर्ट, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, उक्त रिजॉर्ट प्रबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया है कि रिजॉर्ट में एकत्रित होने वाले ठोस अपशिष्ट कूड़े का निस्तारण उनके कैम्प कर्मचारियों द्वारा स्वयं किया जाता है, तथा गंगा नदी में नहीं फेंका जाता है।
LIST OF DRAINS IN GANGA RIVER REGION		
1-नगर पंचायत स्वर्गाश्रम-जौंक	Sewage/STP Drain	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक क्षेत्रान्तर्गत वाई नं0-4 में वेद निकेतन आश्रम के निकट वर्तमान समय में 03 एम0एल0डी0 क्षमता का एक एस0टी0पी0 प्लान्ट संचालित



जिलाधिकारी
गढ़वाल

2- तहसील जाखणीखाल।		<p>है, जिसका संचालन उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जाता है। प्लान्ट से जल-मल शोधन के पश्चात शोधित जल गंगा नदी में छोड़ा जाता है।</p> <p>तहसील जाखणीखाल क्षेत्रान्तर्गत राजस्व ग्राम माला की सरहद अन्तर्गत बधेरा रिजॉर्ट, औसो रिजॉर्ट, वैनों रिजॉर्ट, एवं राजस्व ग्राम झैड़, की सरहद अन्तर्गत अल्पाइन नेचर रिजॉर्ट, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, उक्त रिजॉर्ट प्रबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया है कि रिजॉर्टों में सीवरेज सुविधा/शोधन के निस्तारण हेतु उनके द्वारा पक्के सोवता पिट बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त वी०एन०ए० रिजॉर्ट, में एस०टी०पी० प्लान्ट लगाया गया है। यह रिजॉर्ट वर्तमान समय में बन्द है।</p>
-----------------------	--	--



अतः वांछित सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।



(अनिल कुमार चन्याल)
उपजिलाधिकारी,
यमकेश्वर/जाखणीखाल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
यमकेश्वर/जाखणीखाल।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent Before
me on 17/11/2023 at 11:40 A.M./P.M. at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

24419

144

ई-मेल
Email 30/09/2023
Time 3:34 PM

प्रेषक,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक,
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

उप वन संरक्षक महोदय
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

30/7/23

संख्या-521/गंगा सगिति/2023-24

दिनांक : 30 सितम्बर, 2023

विषय:-

Regarding compliance of directions passed by the Hon ble National Green Tribunal, principal Bench, New Delhi in PIL (O.A No.200 of 2014- M.C. Mehta's matter related to ganga pollution and its cleaning etc. के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-1253/16-1 दिनांक -29 सितम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-09-2023 द्वारा प्रत्येक जिला गंगा सगिति से Original Application में जनपद से सम्बन्धित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप पर निम्नवत है-

cities/Panchayat	Issues	कार्यवाही
GANGA BASIN		
1-Nagar panchayat Swargashram Jonk	Tributaries Cities- industrial and municipal/legacy waste.	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक का कूड़ा निस्तारण स्थल गंगा नदी से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है।
LIST OF DRAINS IN GANGA RIVER REGION		
1-Nagar panchayat Swargashram Jonk	Swargashram STP Drain	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0-4 में वेद निकेतन आश्रम के निकट वर्तमान समय में 03 एम0एल0डी0 क्षमता का एक एस0टी0पी0 प्लान्ट संचालित हैं, जिसका संचालन उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जाता है। प्लान्ट से जल-मल शोधन के पश्चात शोधित जल गंगा नदी में छोड़ा जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रतिलिपि-

जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीया

अधिसासी अधिकारी

नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक
पौड़ी गढ़वाल।

अधिसासी अधिकारी

नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक
पौड़ी गढ़वाल।

Sworn & Verified the Deponent Before me on 30/09/2023 at 4:45 A.M./P.M. a.
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

जिलाधिकारी
गढ़वाल



उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल)
ग्रोथ सेन्टर सिगड़डी, कोटद्वार, उत्तराखण्ड, Ph. No. 01382-242902
Website: www.siidcul.com

पत्रांक : 1900/क्ष०प्र०/सिडकुल/2023

दिनांक : 30/09/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में गंगा बेसिन में स्थित औद्योगिक क्षेत्र/
आस्थानों स्टेटस रिपोर्ट विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 1112/16-1, दिनांक 21.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 जिला गंगा समिति से मूल आवेदन से उठाए गये जनपद से सम्बन्धित बिन्दुओं औद्योगिक क्षेत्र/
आस्थानों की स्टेटस रिपोर्ट चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद में सिडकुल कोटद्वार के अधीन औद्योगिक आस्थान सिगड़डी ग्रोथ सेन्टर की स्टेटस रिपोर्ट निम्नवत् है।

Industrial Estate information	IIE Kotdwar
Total Area	102.62 Acres
Allotable area	59.33 Acres
Number of plots	131
Number of allotted plots	131
Number of units working/ established	76
Number of Food Processing Units	04
Number of Pharma Units	06

Industrial Estate information	IE Balbhadrapur Kotdwar
Total Area	26 Acres
Allotable area	14.59 Acres
Number of plots	56
Number of allotted plots	56
Number of units working/ established	32
Number of Food Processing Units	00
Number of Pharma Units	00

Industrial Estate information	IE Jashodharpur Kotdwar
Total Area	81.96 Acres
Allotable area	48.89 Acres
Number of plots	46
Number of allotted plots	46
Number of units working/ established	25
Number of Food Processing Units	01
Number of Pharma Units	00




जिलाधिकारी
गढ़वाल

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सिडकुल के अन्तर्गत फूड प्रोसेसिंग, फार्मा इंडस्ट्री द्वारा लिक्विड वेस्ट जनरेट किया जाता है इसके अतिरिक्त भी यदि किसी इकाई द्वारा लिक्विड वेस्ट जनरेट किया जाता है तो उन इकाईयों में ई0टी0पी0 प्लांट स्थापित किया जाता है। तथा अन्य इकाईयों द्वारा जो अन्य प्रकार का वेस्ट जनरेट किया जाता है उसका निस्तारण इकाईयों द्वारा स्वयं किया जाता है। लिक्विड वेस्ट जनरेट करने वाली इकाईयों को स्वयं का ई0टी0पी0 प्लांट लगाये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

अतः सिडकुल, कोटद्वार के अधीन स्थापित औद्योगिक आस्थान तथा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयों की अद्यतन स्थिति सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,



(सन्नी चौहान)
क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्र०)
सिडकुल कोटद्वार।


प्रतिलिपि: 1. जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी, को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सन्नी चौहान)
क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्र०)
सिडकुल कोटद्वार।




जिलाधिकारी,
गढ़वाल

Sworn & Verified the Deponent before me on 17/11/2023 at 11.45 A.M. at Pauri Garhwal (U.K.)


Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

प्रेषक,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
कोटद्वार(गढ़वाल)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

संख्या 2177/जिउके/एनजीटी/2023-24

दिनांक: 30-09-2023

विषय-मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में गंगा बेसिन में स्थित औद्योगिक क्षेत्र/आस्थानों की स्टेटस रिपोर्ट विषयक।

म्होदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1112/16-1, दिनांक 21.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण कर का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 जिला गंग समिति से मूल आवेदन से उठाये गये जनपद से सम्बन्धित बिन्दुओं औद्योगिक क्षेत्र/आस्थानों की स्टेटस रिपोर्ट चाही गर है।

उक्त के क्रम में अंगत कराना है कि जनपद में जिला उद्योग केन्द्र के अधीन सिताबपुर कोटद्वार में औद्योगिक आस्थान स्थापित है। औद्योगिक आस्थान सिताबपुर कोटद्वार की स्टेटस निम्नवत् है-

1. औद्योगिक आस्थान का स्थापना वर्ष-1965
 2. औद्योगिक आस्थान का कुल क्षेत्रफल- 2.8330 हेक्टर।
 3. औद्योगिक आस्थान में कुल भूखण्ड- संख्या 37
 4. आवंटित भूखण्ड- संख्या 37
 5. उद्यमियों को आवंटित भूखण्डों की संख्या- 31/5 भूखण्डों पर जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा एक भूखण्ड पर राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है)
 6. वर्तमान में कार्यरत कुल इकाई संख्या- 27
- कार्यरत इकाइयों का उत्पादवार विवरण-

क्र0 संख्या	क्रियाकलाप	इकाई संख्या
1	वुडन फर्नीचर विनिर्माण इकाई	12
2	फूड आधारित विनिर्माण इकाई	04
3	ग्लास कटिंग विनिर्माण इकाई	03
4	स्टील अल्मिश/फर्नीचर विनिर्माण इकाई	01
5	हौजरी गारमेन्ट विनिर्माण इकाई	01
6	हुक्का तम्बाकू विनिर्माण इकाई	01
7	टाईल प्रिंटिंग कार्य	01
8	पॉलीथीन बैग	01
9	मोटर वर्कशाप	01
10	मोटर साईकिल रिपेरिंग/सर्विसिंग वर्क	01
11	मरुती सर्विस सेन्टर	01
योग		27

उपरोक्त कार्यरत इकाइयों में क्रम संख्या 01 से 09 तक की इकाइयों द्वारा किसी भी प्रकार लिक्विड वेस्ट जनरेट नहीं होता है, जो अन्य प्रकार का वेस्ट जनरेट होता है, उसे इकाइयों द्वारा स्वयं निस्तारित कराया जाता है। क्रम संख्या 10 एवं 11 पर अंकित इकाई द्वारा इंजन ऑयल/गियर ऑयल लिक्विड ऑयल को रिसाईकिल हेतु बाहर भेजा जाता है, गन्दे पानी का निस्तारण सोख पिट से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थापित औद्योगिक इकाइयों की स्टेटस रिपोर्ट निम्नवत् है-

Am2



जिलाधिकारी
गढ़वाल

24424

औद्योगिक आस्थान सिताबपुर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	इकाई का नाम व पता	मुखण्ड आवंटी का नाम	मुखण्ड सं०	उत्पाद / कियाकलाप	मुखण्ड की अद्यतन स्थिति
01	02	03	04	05	06
1	मै० डायमण्ड फर्नीचर उद्योग मुखण्ड सं० 1 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री नागेन्द्र सिंह नेगी	01	वुडन फर्नीचर	कार्यरत
2	मै० मनोज रावत फर्नीचर उद्योग मुखण्ड सं० 02 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री मनोज रावत	02	वुडन फर्नीचर	कार्यरत
3	मै० रावत स्टील फर्नीचर उद्योग मुखण्ड सं० 03 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री देव सिंह रावत	03	स्टील फर्नीचर	कार्यरत
4	मै० जगमोहन सिंह रावत मुखण्ड सं० 04 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री जगमोहन सिंह	04	ग्लास कटिंग	कार्यरत
5	मै० कोटद्वार किएशन शेड सं० 06 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार कोटद्वार	श्रीमती मंजूलता	06	ग्लास कटिंग	कार्यरत
6	मै० चुन्नीलाल भानुस्वरूप मुखण्ड सं० 07 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री चुन्नी लाल भानुस्वरूप	07	तम्बाकू निर्माण	कार्यरत
7	मै० बैरबगढी फर्नीचर मुखण्ड सं० 10ए, एवं 10सी औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री महावीर सिंह रावत	10ए, 10सी	वुडन फर्नीचर	कार्यरत
8	मै० पंचशील ग्रामोद्योग मुखण्ड सं०, 10बी, औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री महावीर सिंह रावत	10बी	वुडन फर्नीचर	कार्यरत
9	मै० सिद्धवली स्टील एवं काष्ठ उद्योग मुखण्ड सं० 11 एवं 11ए कोटद्वार	श्रीमती सुनीता रावत	11 एवं 11ए	वुडन / स्टील फर्नीचर	कार्यरत
10	मै० ठाकुर जी प्रोडक्ट मुखण्ड सं० 14 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री अश्वनी कुमार	14	फूड प्रोडक्ट (सिवइया)	कार्यरत
11	मै० रावत हौजरी उद्योग मुखण्ड सं० 15 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री विमल रावत	15	हौजरी	कार्यरत
12	मै० गढवाल इण्डस्ट्री मुखण्ड सं० 16 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री कुंज विहारी देवरानी	16	स्टील अल्मीरा आदि	कार्यरत
13	मै० रावत फर्नीचर उद्योग मुखण्ड सं० 17 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	17	वुडन फर्नीचर	कार्यरत
14	मै० जे०एम०डी इण्टरप्राइजेज मुखण्ड सं० 18 ए औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री राजेश बत्रा	18 ए	आटो वर्कशॉप	कार्यरत
15	मै० देव भूमि काष्ठ कला उद्योग मुखण्ड सं० 18 बी औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री विजय भाटिया	18 बी	वुडलन फर्नीचर	कार्यरत
16	मै० अमन आटोमोबाइल सर्विस मुखण्ड सं० 19ए औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री के०आर० कण्डवाल	19 ए	आटोमोबाइल सर्विस	कार्यरत
17	मै० सिद्धवली फर्नीचर मुखण्ड सं० 19 बी औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री वलीवीर सिंह	19बी	वुडन फर्नीचर	कार्यरत
18	मै० पूजा प्लास्टिक उद्योग मुखण्ड सं० 20 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री वी०एल० सदाना	20	पॉलीथीन बैग निर्माण	कार्यरत
19	मै० आम ग्लास मुखण्ड सं० 20 ए औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री हिमाशु अग्रवाल	20 ए	ग्लास कटिंग	कार्यरत
20	मै० ब्रह्म देव हेमचन्द मुखण्ड सं० 21 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री ब्रह्म देव हेमचन्द	21	वुडन फर्नीचर	कार्यरत
21	मै० क्वालिटी वैकर्स हेमचन्द मुखण्ड सं० 22 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री सुरेश कुकरेती	22	बेकरी उद्योग	कार्यरत
22	मै० शाकुम्बरी आटोमोबाइल प्रा० लि० मुखण्ड सं० 23, 29,30 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री पंकज मिश्र	23,29, 30	मारुती रिपेरिंग / सर्विस सेन्टर	कार्यरत
23	मै० तारा ग्रामोद्योग मुखण्ड सं० 27 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्रीमती तारा देवी	27	टाईल प्रिंटिंग	कार्यरत
24	मै० तुलसी मशाला उद्योग (वेरलिया इण्डस्ट्रीज) मुखण्ड सं० 28 औ०आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री तुलसी राम सिंघल	28	मशाला उद्योग	कार्यरत
25	मै० के० एस० इण्डस्ट्रीज मुखण्ड सं० 31 औ० आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री अनुसूया प्रसाद कुकरेती	31	वुडन / स्टील फर्नीचर विनिर्माण	कार्यरत
26	मै० गुप्ता लौह काष्ठ उद्योग मुखण्ड सं० 32 औ० आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री सुशील कुमार गुप्ता	32	वुडन पैकिंग बॉक्स	कार्यरत
27	मै० सुरेश वेसन आट्टा चक्की उद्योग 35 बी औ० आ० सिताबपुर कोटद्वार	श्री कुंवर मोहसीन	35	आट्टा चक्की	कार्यरत

Sworn & Verified the Dependent
me on 17/11/2015 at
Pauri Garhwal (U.K.)

Narendra Singh Negi
Advocate/Notary Public

जलंधर
गढ़वाल

महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
कोटद्वार (गढ़वाल)